



Service is
the way of life



वार्षिक रिपोर्ट (संक्षिप्त) Annual Report (Abridged) 2017-18

पी.एस.बी

MSME
Loan



Housing Loan



Car Loan



Education
Loan



ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਗਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫੁੜਗਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਕਰਮ)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



कार्यकारी निदेशक
श्री फरीद अहमद
Executive Director
Sh. Fareed Ahmed



कार्यकारी निदेशक
श्री गोविंद एन डोंग्रे
Executive Director
Sh. Govind N Dongre



श्री एस. सेल्वा कुमार
Sh. S. Selva Kumar



श्री प्रदीप्त. के. जेना
Sh. Pradipta K. Jena



श्री अतनु सेन
Sh. Atanu Sen



श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता
Sh. T.R. Mendiratta



श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh



श्री एस.आर. घेडीया
Sh. S.R. Ghedia



श्री मधु सूदन दादू
Sh. Madhu Sudan Dadu

विषय-सूची / Contents

	पृष्ठ संख्या / Page No.
1. उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2. निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3. नोटिस / Notice	4-13
4. निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	14-37
5. कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	38-87
6. संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां / Abridged Financial Statements:	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	88-91
तुलन-पत्र / Balance Sheet	92-95
लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account	96-99
नकदी प्रवाह विवरण-पत्र / Cash Flow Statement	100-105
7. प्रॉक्सी प्रारूप / Proxy Form	106-107
8. उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	108-109



उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2018 को / As on 31.03.2018

1. जमा Deposits	10172617
2. सकल अग्रिम Gross Advances	6973878
3. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2868489
4. सकल निवेश Gross Investments	3315003
5. परिचालन लाभ Operating Profit	114471
6. शुद्ध लाभ Net Profit	(-) 74380
7. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	(-) 0.69%
8. शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	6.93 %
9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	11.27%
10. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	11.25%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

कार्यकारी निदेशक

श्री फरीद अहमद

Executive Director

Sh. Fareed Ahmed

कार्यकारी निदेशक

श्री गोविंद एन डोंग्रे

Executive Director

Sh. Govind N Dongre

निदेशक / Directors

श्री एस. सेल्वा कुमार, आई.ए.एस.

Sh. S. Selva Kumar, IAS

श्री प्रदीप्त के. जैना

Sh. Pradipta K. Jena

श्री अतनु सेन

Sh. Atanu Sen

श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता

Sh. T.R. Mendiratta

श्री हर्ष बीर सिंह

Sh. Harsh Bir Singh

सीए, एस.आर. घेडीया

CA, S.R. Ghedia

श्री मधु सूदन दादू

Sh. Madhu Sudan Dadu

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री संजय जैन

Sh. Sanjay Jain

महाप्रबंधक / General Managers

श्री एस.सी. क्वात्रा

Sh. S.C. Kwatra

श्रीमती हरविन्द्र सचदेव

Smt. Harvinder Sachdev

श्री जी.एस. नारंग(प्रतिनियुक्ति पर)

Sh. G.S. Narang (On Deputation)

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स धवन एण्ड कं.

M/S Dhawan & Co.

मैसर्स दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.

M/S Davinder Pal Singh & Co.

मैसर्स एस. मान एण्ड कं.

M/s S. Maan & Co.

मैसर्स बलदेव कुमार एण्ड कं.

M/s Baldev Kumar & Co.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21 – राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

www.psbindia.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की आठवीं सामान्य बैठक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3, सैक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085 में शुक्रवार, 29 जून, 2018 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित होगी जिसमें निम्न कारोबार किए जाएंगे:

मद संख्या

1. वित्तीय परिणामों अर्थात् 31 मार्च, 2018 को बैंक का लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ हानि खातों पर, बैंक की लेखों में सम्मिलित अवधि में गतिविधियों एवं कार्य शैली पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखाकारों की रिपोर्टों पर विचार करने, अनुमोदन करने तथा अंगीकार करने हेतु।

यह भी सूचित किया जाता है कि बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक में ई-मतदान/मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों को सुनिश्चित करने की अंतिम तिथि 22.06.2018 निर्धारित की है। एतद् द्वारा यह भी नोटिस दिया जाता है कि शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 23.06.2018 से 29.06.2018 तक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं, आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक के सम्बंध में बन्द रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2018

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

www.psbindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Friday, the 29th June, 2018 at 10.00 a.m. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Financial Results viz. Audited Balance Sheet and Profit & Loss Accounts of the Bank for the year ended 31st March 2018, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Notice is also given that the Bank has fixed 22.06.2018 as the 'Cut-Off date' to ascertain names of shareholders who shall be entitled to e-vote / vote at the Annual General Meeting. Further, the Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 23.06.2018 to 29.06.2018 (both days inclusive) in connection with the Eighth Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 21 May, 2018

Dr. Fareed Ahmed
Executive Director

टिप्पणियां

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। विनियमों के विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी को दिए गए लिखत द्वारा व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे लिखत संबंधित है।

प्रॉक्सी फार्म (अनुलग्नक-ए) तभी प्रभावी होगा जब वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 24.06.2018 (रविवार) को सायं 5 बजे अथवा बैंक के कार्य-घंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जोकि हस्ताक्षरित है अथवा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य-प्रति के रूप में प्रस्तुत की जाए बशर्ते यह मुख्तारनामा अथवा अधिकार पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा है तथा पंजीकृत है।

2. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जोकि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 24.06.2018 (रविवार) को सायं 5 बजे या इससे पहले पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. पंजीकरण, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची:

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 29.06.2018 को प्रातः 9.00 बजे पंजीकरण बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा उपस्थिति पास (अनुबंध 'E') में संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें इसके पश्चात् ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाए। शेयरधारक के प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्रॉक्सी या अधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो अंकित करेगा। शेयरधारकों/प्रॉक्सी-धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात् होगा, और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है। प्रवेश पास को प्रस्तुत करने पर चुनाव के लिए मतपत्र जारी किया जाएगा।

4. शेयर अंतरण एजेन्टों के साथ पत्र-व्यवहार:

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से उनके ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों, यदि कोई है तो, ईलेक्ट्रॉनिक मोड से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दी जाए:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट-पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

44, समुदाय केंद्र, दूसरी मंजिल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1

नजदीक पी.वी.आर., नारायणाए नई दिल्ली- 110 028

फोन 011- 41410592, 41410593 ई मेल: delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अशुभित रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन यदि हो तो, अपने डिपॉजिटरी सहभागी को सारा संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए सूचित करें।

5. लाभांश

बैंक द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

NOTES

1. **APPOINTMENT OF PROXY:**

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008. As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure-'A') in order to be effective must be received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2018 (Sunday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :**

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2018 (Sunday).

3. **REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP AND ENTRY SLIP:**

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 29.06.2018, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-'B') to this notice. Shareholders/ Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Ballot paper for poll will be issued against surrendering of entry pass.

4. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase-I

Near PVR Naraina, NEW DELHI-110 028.

Ph: 011 41410592, 41410593 email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

5. **DIVIDEND**

No dividend has been declared by the Bank for the year 2017-18.

6. अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने पिछले लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से दर्शाए गए उक्त पते पर या 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

7. फोलियों का समेकन:

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटार्डम इंडिया प्रा. लि. (आर.टी.ए.) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियों के साथ सूचित करें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों के शेयर प्रमाण-पत्र यथा समय लौटा दिए जाएंगे।

8. शेयर धारकों से अनुरोध:

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आए। वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की कोई प्रति वितरित नहीं की जाएगी।

यह प्रशंसनीय होगा कि शेयरधारक अपने प्रश्न, यदि कोई हैं, समय से पर्याप्त पहले कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र. का. शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 के पास प्रेषित करें या [complianceofficer / psb.co.in](mailto:complianceofficer@psb.co.in) पर ई-मेल करें।

9. शेयर धारकों के मताधिकार:

अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयर, बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार का दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा। बैंक सभी शेयरधारकों को एजेंडा मर्दानों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। वा.सा.बै. की ई-वोट, वोट की पात्रता की अंतिम दिनांक (कट ऑफ डेट) 22.06.2018 है। ई-वोटिंग की अवधि 26.06.2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होगी और 28.06.2018 को अपराह्न 5.00 बजे तक होगी। इसके पश्चात ई-वोट नहीं की जा सकेगी। लॉगइन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया संलग्न है।

जिन शेयरधारकों ने ई-वोट किया है वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकते। यदि उन्होंने मतदान के माध्यम से मत का प्रयोग किया तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. शेयर कक्ष

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशकर्ता निम्न पते पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं—

कंपनी सचिव,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
प्रधान कार्यालय (शेयर कक्ष)
लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग,
21—राजेंद्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली-110008.
टेलीफोन— 011— 25782926, 25812922 ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

11. अन्य जानकारी:

शेयरधारक कृपया जान लें कि सभा में किसी भी प्रकार का उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा।

कड़ी सुरक्षा के कारणों से हॉल के भीतर ब्रीफ केस, खाद्य पदार्थ तथा निजी वस्तुएं ले जाना मना है। इसलिए बैठक में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति अपने सामान की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2018

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

6. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

7. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

8. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Annual General Meeting.

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008 or email to complianceofficer@psb.co.in.

9. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to e-vote/vote at AGM is 22.06.2018. The e-voting period shall commence on 26.06.2018 from 10.00 a.m. and end on 28.06.2018 up to 5.00 p.m. beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.

The shareholders who have e-voted can participate in the AGM but cannot participate in poll. In case they vote through poll, the same will not be considered.

10. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary,

Punjab & Sind Bank,

Head Office, Shares Cell,

Accounts & Audit Department,

21 Rajendra Place, New Delhi-110008

Telephone: 011-25782926, 25812922 E-mail: complianceofficer@psb.co.in.

11. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 21 May, 2018

Dr. Fareed Ahmed
Executive Director

मतदान प्रक्रिया

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की छठी वार्षिक सामान्य बैठक के लिए ई-मतदान

बैंक कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुसार, आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-मतदान की सुविधा प्रदान करेगा।

सदस्यों हेतु इलेक्ट्रॉनिक विधि से मतदान हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :-

- दिनांक 26.06.2018 को प्रातः 10 बजे मतदान अवधि आरम्भ होगी और दिनांक 28.06.2018 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 22.06.2018 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
- शेयरधारकों को ई.वोटिंग साईट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।
- शेयरधारक/सदस्यों पर क्लिक करें।
- अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
 - सीएसडीएल हेतु – 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
 - एनएसडीएल हेतु – 8 स्वरूप की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
 - भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
- दर्शायी गई ईमेज को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- यदि आप प्रथम वार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करें:

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा –न्यूरमेरिक*पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) <ul style="list-style-type: none"> ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना PAN कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में क्रम संख्या जो पोस्टल बैलेट/उपस्थिति पर्ची पर प्रिंट है पैन फील्ड में प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म-तिथि (डीओबी)	कृपया जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते के रिकॉर्ड के अनुसार या फोलियो में के रूप में लॉगइन करने हेतु प्रविष्ट करें। <ul style="list-style-type: none"> यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियों संख्या, लाभांश बैंक विवरण जैसा कि (iv) में उल्लेखित है प्रविष्ट करें।

- इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात, "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उनके द्वारा लॉगिन पासवर्ड, नए पासवर्ड स्थान में बदल कर देना आवश्यक है। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड, डीमेट धारकों द्वारा, किसी भी कंपनी, जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें CDSL द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग इस नोटिस में ई-मतदान हेतु दिए गए मसौदे में किया जा सकता है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक हेतु "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष हाँ/नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक हाँ अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

E-Voting

E-Voting for the Eighth Annual General Meeting of Punjab & Sind Bank

In terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the Eighth AGM.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

- (i) The voting period begins on 26.06.2018 at 10.00 a.m. and ends on 28.06.2018 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 22.06.2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders/Members.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> • Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot/Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details Or Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (dd/mm/yyyy) format as recorded in your demat account or in the company records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- (xiii) यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" को क्लिक करें।
- (xiv) वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इस प्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
- (xv) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक कर ले सकते हैं।
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- (xviii) शेयरधारक अपना मतदान सीडीएसएल की मोबाईल एप एम-वोटिंग का उपयोग करते हुए कर सकते हैं जोकि एन्ड्रॉयड आधारित मोबाईलों हेतु उपलब्ध है। एम-वोटिंग मोबाईल एप को गूगल के प्ले स्टोर से हासिल किया जा सकता है। एप्पल और विंडो फोन का उपयोग करने वाले एप्पल स्टोर तथा विंडो फोन स्टोर से क्रमशः एप प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोबाईल पर मतदान करते समय मोबाईल एप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।
- (xix) अवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट
- अवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक से अलग, हिंदू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉगइन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
 - पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को helpdesk.evotingindia.com/cdslindia.com पर ई-मेल कर देना चाहिए।
 - लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद admin लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता(ओं) को लिंक करने में समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
 - सभी खातों की सूची helpdesk.evotingindia.com/cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
 - अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटार्नी और बोर्ड संकल्प की स्कैनड प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि छानबीन करने वाला उसको सत्यापित कर सके।
- (xx) व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस को प्रेषित करने के बाद भी ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।

टिप्पणी: यदि कोई सदस्य(ओं) अपने वोट दोनों अर्थात भौतिक रूप या ई-वोटिंग से मतदान करता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य रहेगा तथा भौतिक मतदान को अनदेखा कर दिया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट दिया है वह वार्षिक सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किंतु पोल में वोट नहीं कर सकता।

श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. 4629) को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे बैठक संपन्न होने के 48 घंटों के भीतर अक्षरशः, वार्षिक सामान्य बैठक की संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे

अध्यक्ष द्वारा घोषित परिणाम के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद डाल दिया जाएगा

पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर संकल्प को वार्षिक सामान्य बैठक के दिन पारित माना जाएगा

बैठक की सूचना www.psbindia.com तथा www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evoting.com/cdslindia.com पर ई-वोटिंग मेनुअल उपलब्ध है या helpdesk.evoting.com/cdsindia.com को ई-मेल करें या श्री राकेश दलवी, डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 25वां माला, विंग ए मारटौन फ्यूचर एक्स, माफतलाल मिल्स कॉम्प्लेक्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (ई) मुम्बई-400013, दूरभाष नं. 18002005533 या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक इन्टाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, 44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-28 दूरभाष नं. 011-41410592, 41410593 या delhi/linkintime.co-in को ई-मेल करें।

- (xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xx) Person who have acquired shares and become members after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.

Note: In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored. However, shareholder(s) who have casted their vote through e-voting can participate in General Meeting but cannot vote in poll.

Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary (CP No. 4629) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Annual General Meeting, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Annual General Meeting within 3 days of the conclusion of the meeting;

The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL e-voting immediately after the result is declared by the Chairman;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting;

Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com and www.evotingindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013., Phone-18002005533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, 44-Community Centre, 2nd floor, Naraina Indl Area, Phase-I, New Delhi-28 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

निदेशक मंडल रिपोर्ट 2017-18

बैंक का निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र व लाभ-हानि खाते के साथ वार्षिक रिपोर्ट को हर्ष के साथ प्रस्तुत करता है।

प्रबंधन विचार- विमर्श एवं विश्लेषण

आर्थिक परिदृश्य:

विगत वर्ष में प्रमुख सुधार किए गए जिन्होंने लघु अवधि में वृद्धि पर प्रभाव डाला। यद्यपि, यह आशा की जा रही है कि आने वाले दिनों में सुधार के लाभ प्राप्त होने लगेंगे। 01 जुलाई, 2017 की अर्द्ध-रात्रि को वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए पुनः पूंजीकरण के साथ बहु-प्रतीक्षित जुड़वा तुलन-पत्र (टी.बी.एस.) का प्रस्ताव निर्णय के नजदीक है। प्रमुख दबाव ग्रस्त कंपनियों को नए भारतीय दीवाला कोड के अंतर्गत लाकर नीलामी के माध्यम से चूककर्ता कंपनियों की नीलामी करना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, मजबूत धरातल पर चक्रीय उत्थान का अनुभव कर रही है, आशा की जाती है कि आने वाले कुछ वर्षों तक यह रुख बना रहेगा हालांकि गिरावट का जोखिम बना रहेगा।

पूर्व की नीतियों के प्रभावों के समाप्त होने तथा वैश्विक उत्थान के कारण निर्यात में उठान के कारण, वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृद्धि की आशा है और इस वर्ष के 6.75% से यह 7-7.5% हो सकती है। विगत एक वर्ष के 4.9% की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2018 में कृषि में वृद्धि थोड़ी कम 2.1% पर, उद्योग में 4.4% तथा सेवाओं में 8.3% रही है। वर्ष 2017-18 में देश में मुद्रा स्फीति साधारण रही है। अप्रैल-दिसम्बर 2017-18 के दौरान ग्राहक मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) आधारित मुद्रा स्फीति औसतन 3.3% रही है जोकि विगत छः वित्तीय वर्षों में न्यूनतम है जब कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) पर आधारित मुद्रा स्फीति 2.9% पर रही। एक अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य एवं बजट जानने के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा एक महत्वपूर्ण तत्व है। विगत चार वर्षों में यह लगातार नीचे गया है अर्थात् वर्ष 2017-18 में 3.2%। इसको 2% से नीचे लाने का लक्ष्य है। चालू खाते का घाटा जीडीपी का 1.5% रहने का अनुमान है जोकि 3% की दर से काफी कम है जो अर्थव्यवस्था के लिए अतिसंवेदनशील में परिवर्तित हो सकता है। विदेशी मुद्रा भण्डार \$424 मिलियन हो गए हैं। वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां तथा कीमतों में उछाल विपरीत परिस्थितियों को पैदा कर सकते हैं।

संवृद्धि आंशिक गति से रफ्तार पकड़ रही है क्योंकि विमुद्रीकरण एवं जीएसटी का अस्थायी प्रभाव समाप्त हो रहा है और उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं। निर्यात ने गति पकड़ी है और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि लगभग 11.3% है। वैश्विक व्यापार में संभव सुधार के कारण भारत के बाह्य क्षेत्र मजबूत रहेंगे यद्यपि, डब्ल्यू.टी.ओ. की चिन्ता बनी हुई है।

बैंक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं और आर्थिक संवृद्धि को क्रियाशील एवं निरन्तरता बनाए रखने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, विशेषकर विकासशील देशों और भारत में जहाँ कोई विकल्प नहीं है। भारतीय बैंक विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं जिससे उनकी लाभप्रदता एवं स्थायित्व प्रभावित होती है। भारतीय बैंकों के सामने सबसे बड़ी जोखिम अनर्जक ऋणों में वृद्धि है। विगत कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण आर्स्टि गुणवत्ता खराब होती रही है और बैंक सरलता से धन एकत्र करने में सफल नहीं हो रहे हैं, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनके खराब ऋणों का प्रतिशत ज्यादा है। यदि बैंक अपनी पूंजी जल्दी नहीं वसूल पाते हैं तो रिजर्व बैंक की पूंजी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कुछ भारतीय बैंक असफल हो सकते हैं।

बैंक तकनीकी विकास एवं नवोन्मेषी उत्पाद का लाभ उठा कर प्रभावोक्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रतिस्पर्धा के दबाव का सामना करते हैं। इस संबंध में, बैंकों को अपनी शाखा के नेटवर्क का लाभ उठाते हुए गैर-बैंककारी क्षेत्रों के साथ बैंक के कार्य करने से अन्य वित्तीय संस्थानों के ऊपर सफलता प्राप्त होगी। धरातल पर ग्राहक, विशेषकर एस.एम.ई. और कृषि में बड़े व्यावसायिक अवसरों की कुंजी हो सकते हैं। संभाव्य ग्राहकों का बड़ा डिजिटल डाटा बेस, मोबाईल की अधिकता, ई-कॉमर्स तथा स्मार्ट फोन आधारित सेवाओं के प्रयोग से एस.एम.ई. की साख के आंकलन करने की लागत को घटा सकता है जो बैंक हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बैंक तकनीक का उपयोग अपने आपको अलग दर्शाने तथा प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए करेगा।

कार्य-निष्पादन परिणाम

कुल व्यापार: दिनांक 31.03.2017 को बैंक के रु. 145803.25 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2018 की समाप्ति पर बैंक का कुल व्यापार रु. 171464.95 करोड़ रहा।

लाभ: वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान रु. 201.08 करोड़ के लाभ की तुलना में बैंक ने वर्ष 2017-2018 के दौरान रु. 743.80 करोड़ की कुल हानि दर्ज की। वर्ष 2016-17 के 0.20% की तुलना में आस्तियों पर प्रतिफल -0.69% रहा।

लाभांश: बोर्ड ने वर्ष 2017-18 हेतु कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

DIRECTORS' REPORT 2017-18

The Board of Directors has pleasure in presenting Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2018.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

ECONOMIC OUTLOOK

Major reforms were undertaken over the past year which in the short term has impacted the growth trajectory. However, it is expected that the benefit of the reforms will accrue in the days to come. The transformational Goods and Services Tax (GST) was launched at the stroke of midnight on July 1, 2017. The long-festering Twin Balance Sheet (TBS) issue is nearing resolution with bank recapitalization package in place to strengthen the public sector banks and the auction of defaulting companies by sending the major stressed companies for resolution under the new Indian Bankruptcy Code. The global economy, meanwhile, is experiencing a broad-based cyclical upturn, which is expected to be sustained over the next couple of years, although downside risks persist.

The economic turnaround is expected to gain further traction this financial year and it could accelerate from 6.75% this year to 7-7.5% in 2018-19, as a result of the dissipating effects of earlier policy and the export uplift from the global recovery. Agriculture growth was at 2.1% for financial year 2018, sharply lower than 4.9% a year earlier followed by industry at 4.4% and services at 8.3%. Inflation in the country continued to moderate during 2017-18. Consumer Price Index (CPI) based headline inflation averaged 3.3% during April-December 2017-18, the lowest in the last six financial years while Wholesale Price Index (WPI) based inflation stood at 2.9%. Fiscal Deficit as a percentage of GDP is the most important factor to judge the health of an economy and budget. It has gone down steadily over the past four years i.e. 3.2% in 2017-18. The target is to bring it below 2%. The current account deficit is estimated at a modest 1.5% of GDP, well below the 3% rate at which economics turn vulnerable. Foreign exchange reserves have soared to \$424 billion. Headwinds however remain with prices moving northwards and global political uncertainties.

Growth is picking up partly because the temporary impact of demonetisation and GST has dissipated, and corrective actions have been taken. Exports have picked up and manufacturing sector growth is about 11.3%. India's external sector to remain strong on likely improvement in global trade, though WTO concerns remain.

The banks are the lifelines of the economy and play a catalytic role in activating and sustaining economic growth, especially, in developing countries and India is no exception. Indian banks face different kinds of problems, which have affected their profitability and financial stability. The biggest risk to Indian banks is the rise in bad loans. The asset quality deterioration continues leading to slowdown in the economy in the last few years and banks are not able to raise money easily, especially public-sector banks which have high percentage of bad loans. If banks do not shore up their capital soon, some could fail to meet the minimum capital requirement set by the RBI.

Banks face sustained competitive pressure to increase efficiency and productivity by leveraging on technological developments and product innovations. In this regard, banking with the unbanked may probably give banks an edge over other financial intermediaries by leveraging on their branch networks. Customers at the bottom of the pyramid especially in SME and Agriculture may hold the key to big business opportunities. The availability of large digital database on potential borrowers, mobile density, e-commerce and usage of smart-phone based services is likely to reduce the cost of assessing creditworthiness of SMEs which are the thrust area of the Bank. Bank will adopt technology as an enabler to differentiate itself and shall have an edge over its competitors.

WORKING RESULTS

TOTAL BUSINESS: During the year ended 31.03.2018, total Business of the Bank stood at Rs171464.95 crore as compared to Net Profit of Rs. 145803.25 crore as on 31.03.2017.

PROFIT: The Bank recorded a Net Loss of Rs 743.80 crore for the year 2017-18 as compared to Net Profit of Rs. 201.08 crore during the FY 2016-17. The Return on Assets (ROA) stood at -0.69% as compared to that at 0.20% in the year 2016-17.

DIVIDEND: The Board has not recommended any dividend for the year 2017-18.

पूंजी एवं आरक्षितियां: दिनांक 31.03.2017 को बैंक की निवल मालियत रु. 5046.39 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2018 को रु. 4733.96 करोड़ रही।

दिनांक 31.03.2018 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बॉसल III) 11.25% है जोकि निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.875% के विरुद्ध है।

बॉसल III अनुवर्ती अतिरिक्त टीयर I बांड जारी करना

वर्ष के दौरान, बैंक ने रु. 1000 करोड़ के बॉसल III अतिरिक्त अनुवर्ती टीयर I बांड को 10.90% वार्षिक पर जारी किया है। यह बांड बेमियादी हैं।

जमाएं: बैंक की कुल जमा राशियों में 31 मार्च, 2018 को रु. 101726.17 करोड़ रही जोकि दिनांक 31.03.2017 को रु. 85540.16 करोड़ थी। बैंक की औसत जमा लागत 5.93% रही जोकि विगत वर्ष 6.73% थी।

अग्रिम: दिनांक 31.03.2018 को बैंक के कुल अग्रिम रु. 69738.78 करोड़ रहे जोकि दिनांक 31.03.2017 को रु. 60263.09 करोड़ थे। अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 8.80% रहा जोकि विगत वर्ष के दौरान 9.73% था।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

- बैंक ने शाखाओं और 351 व्यवसायिक प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10.78 लाख खाते खोले और प्रत्येक खाते में जमा रु. 5890 की औसत से रु. 635 करोड़ के कासा/एफडी/आरडी की जमाएं संग्रहित की।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, व्यवसायिक प्रतिनिधियों द्वारा लाया गया व्यवसाय लगभग रु. 359 करोड़ था जिसमें एन.पी.ए./टी.डब्ल्यू.ओ. के 2180 खातों में रु. 11.83 करोड़ की कुल राशि की वसूली सम्मिलित है।
- बैंक ने प्रत्येक तिमाही में 10 अच्छा कार्य करने वाले बैंक मित्रों को रु. 1,100/- का पुरस्कार और एक प्रशंसा पत्र देने प्रक्रिया लागू की है।
- पी.एम.जे.डी.वाई. में कुल जीरो बैलेंस खाते 1% हैं जोकि उद्योग के 20% के विरुद्ध हैं।
- क्रियाशील पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में कुल आधार की प्रविष्टि 84% है।
- बैंक ने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफ.एल.सी.) के साथ समन्वय करते हुए वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से गांवों में वित्तीय साक्षरता कैंम्पों का आयोजन किया जहाँ मूलभूत बैंक की सेवाओं के साथ पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, ओवर ड्राफ्ट आदि वित्तीय योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों के साथ विचार-विमर्श किया गया ताकि वे अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार इन सेवाओं का लाभ ले सकें। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने कुल 1192 वित्तीय साक्षरता कैंपों का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
- बैंक ने पी.एम.जे.डी.वाई. ओडी को एटीएम/माइक्रो एटीएम के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया है। वर्तमान में, 70605 ओडी संस्वीकृत की गई हैं। कुल संस्वीकृत राशि रु. 10.86 करोड़ है।
- हमारे माइक्रो एटीएम आधार सुविधा युक्त भुगतान प्रणाली (ईपीएस) और रूपे पिनपैड सक्षम हैं जो ग्रामीण ग्राहकों को उनके बायोमैट्रिक या रूपे डेबिट कार्ड द्वारा अंतः और अंतर बैंक लेन-देनों को करने में सहायता करते हैं।
- बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान 155 के लक्ष्य के विरुद्ध 141 आधार पंजीकरण केंद्र सफलतापूर्वक खोले हैं। बैंक ने स्वयं अपनी किट खरीदी हैं और बैंक का अपना स्टाफ ऑपरेटर/पर्यवेक्षण के रूप में कार्य कर रहा है।

विपणन एवं बीमा

- बैंक ने वर्तमान में एल.आई.सी. व एस.बी.आई जीवन बीमा कंपनियों के साथ कॉरपोरेट एजेंसी के लिए गठबंधन किया है और कुल रु. 8.81 करोड़ के व्यवसाय के साथ 3981 पॉलिसियां की हैं।
- सोवरन गोल्ड योजना की 14 श्रंखलाएं सफलतापूर्वक पूर्ण की गई हैं और रु. 61.19 लाख का कमीशन प्राप्त किया है।

नई पहल

- ईलॉक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देनों हेतु पंजीकृत ग्राहकों के क्रियाशील खातों को एसएमएस "REPLY" सुविधा को लागू करते हुए फ्रीज करना।
- यू.पी.आई./पी.ओ.एस./आधार-पे/भारत-QR कोड लागू करना।
- पीएसबी-भारत QR कोड लागू करना। भीम पीएसबी उपकरण में भारत QR कोड स्कैन एवं भुगतान करने की कार्यविधि लागू की गई है।
- एटीएम कार्डों की ग्रीन पिन कार्यविधि लागू करना।

CAPITAL & RESERVE: The Net Worth of the Bank stood at Rs 4733.96 crore as compared to Rs. 5046.39 crore as on 31.03.2017.

The Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 11.25% as on 31.03.2018 against the minimum stipulated requirement of 10.875%.

Issue of Basel III Compliant Additional Tier I Bonds:

During the Year, Bank issued Basel III Compliant Additional Tier I Bonds amounting to Rs 1000 crore at 10.90% p.a. These Bonds are perpetual in nature.

DEPOSITS : The total deposits of the Bank stood at Rs 101726.17 crore as on 31.03.2018 as compared to Rs. 85540.16 crore as on 31.03.2017. The average cost of deposits of the bank improved to 5.93% as compared to 6.73% in previous year.

ADVANCES: The Bank's Advances stood at Rs 69738.78 crore as on 31.03.2018 as compared to Rs. 60263.09 crore as on 31.03.17. The average yield on Advances stood at 8.80% as compared to 9.73% during the last year.

ACHIEVEMENTS UNDER PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJNA

- The Bank has opened 10.78 lac Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) accounts through Branches and 351 Bank Mitra and mobilized CASA/FD/RD deposit of Rs. 635 Crore, with average deposit per account Rs. 5890.
- During this financial year 2017-18 business brought by Bank Mitras is Rs.359 Crores which include Recovery in 2180 NPA/TWO accounts amounting to Rs.11.83 Crore.
- The Bank has introduced a system of awarding 10 Outstanding performing Bank Mitras every quarter with cash rewards of Rs. 1100/- and an appreciation letter.
- Total Zero Balance accounts in PMJDY are at 1 % against industry average of 20 %
- Total Aadhaar seeding in Active PMJDY Accounts is 84%.
- Bank in coordination with the FLCs took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY and OD discussed with the customers/villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements. During this financial year 2017-18, Bank has successfully organized 1192 Financial Literacy Camps.
- The Bank has successfully implemented PMJDY OD through ATMs/MicroATMs. At present, 70605 ODs have been sanctioned. Total amount sanctioned is Rs.10.86 Crores.
- Our all MicroATMs are AEPS & Rupay PINPAD enabled, helping rural customers to do intra and inter Bank transactions using their biometrics or Rupay Debit Cards.
- Bank has successfully opened 141 Aadhaar enrolment Centers during 2017-18 against the target of 155. Bank has purchased its own kits and our own staff is working as Supervisor/Operators.

MARKETING AND INSURANCE

- The Bank has presently a Corporate Agency tie-up with LIC and SBI Life for life insurance business and 3981 policies has been done with total Insurance business of Rs. 8.81 crore.
- Total number of **14 tranches of Sovereign Gold Scheme** successfully handled and Commission of **Rs.61.19 Lac earned**.

NEW INITIATIVES

- Implementation of SMS "Reply" facility to registered customers for debit freeze their operative accounts for Electronic Banking Transactions.
- Implementation of UPI/POS/ Aadhaar-Pay/ Bharat-QR Code.
- Implementation of PSB-BHARAT QR Code. Bharat QR Code scan and pay functionality has been implemented in BHIM PSB App.
- Implementation of Green PIN functionality for ATM cards.

- रुपये प्री-पेड कार्ड को लागू करना।
- भारत बिल पेमेन्ट प्रणाली (बीबीपीएस)(प्री लॉगइन) को लागू करना।
- आँखों से अन्धे स्टाफ की सहायता के लिए JAWS साफ्टवेयर लागू करना।
- बैंक ने 14 नई शाखाएं खोली हैं जिनमें से 50% शाखाएं अर्थात् 7 गैर-बैंकिंग क्षेत्र में खोली गयी हैं।
- जापान क्रेडिट ब्यूरो (जेसीबी) का अधिग्रहण पीएसबी एटीएम पर यूनियन पे इंटरनेशनल (यूपीआई) के ग्राहकों की लेन-देन।
- पीएसबी एटीएम पर आधार ई-सत्यापन स्थिति को दर्शाना।

पुरस्कार एवं उपलब्धियां

- माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री, वित्त एवं कंपनी मामले ने बैंक को सूक्ष्म ऋण में योगदान करने के लिए सीआईएमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016-17 प्रदान किया।
- भारत के एसोशिएटिड चोम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (एसोचौम) ने बैंक को "लघु बैंक श्रेणी में कृषि बैंकिंग एवं सरकारी योजनाएं" के लिए माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ला, वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार ने कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र की संवृद्धि में योगदान के लिए "एसोचौम सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार" दिया।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 20.04.2017 को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सीआईएमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016, अब दिनांक 18.01.2018 को वित्तीय समावेशन केशबुक अवार्ड और दिनांक 10.03.2018 को बी.सी. मॉडल पर स्कॉच अवार्ड जीता है।
- बैंक की जूनियर हॉकी टीम ने अमृतसर में आयोजित इंटर कॉलेज हॉकी टूर्नामेंट जीता।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

- दिनांक 31.03.2017 को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रु. 24928 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2018 की समाप्ति पर रु 28685 करोड़ हो गए।
- दिनांक 31.03.2017 को बैंक के कृषि अग्रिम रु. 11355 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2018 की समाप्ति पर रु. 1342 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 12697 करोड़ हो गए।
- बैंक का छोटे और सीमांत किसानों को अग्रिम रु. 6464 करोड़ रहा जोकि आरबीआई के निर्धारित लक्ष्य 8.00% की तुलना में मार्च, 2017 के एनबीसी का 9.76% है।
- बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में रु. 1040 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रु. 1009.79 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया है जोकि लक्ष्य का 97.09% है।
- दिनांक 31.03.2018 तक केसीसी संचालित कुल 2.17 लाख खातों में से, बैंक ने केसीसी के 2.12 लाख खातों (97.69%) में रुपये डेबिट कार्ड जारी किए हैं।
- बैंक ने पंजाब एवं हरियाणा में वित्तीय साक्षरता को फैलाने के लिए ब्लॉक स्तर पर 19 वित्तीय साक्षरता कैंप (एफएलसी) खोले हैं।
- वर्ष 31.03.2017 के अंत में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तीन में से एक आरएसईटीआई जोकि मोगा में हैं, को सर्वोच्च ग्रेड 'AA' दिया गया और उसको ग्रामीण बेरोजगार युवकों के प्रशिक्षण देने हेतु सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया है।
- बैंक ने केंद्रीय भण्डारण निगम, राष्ट्रीय प्रतिभूति प्रबंधन सेवाएं लिमिटेड और प्रेस्टीज बल्क हैंडलिंग निगम (प्रा) लिमिटेड के साथ कृषि-उत्पाद बंधक ऋण योजना के अंतर्गत वेयर हाउस रसीद के विरुद्ध वित्त पोषण हेतु करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- बैंक ने TReDS प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई के बिल भुनाने के लिए एमआई एक्सचेंज के साथ समझौता किया है।

खुदरा ऋण

- दिनांक 31.03.2018 को बैंक का खुदरा ऋण संविभाग रु. 14894.90 करोड़ है और इस प्रकार खुदरा ऋण विभाग ने विगत वर्ष पर 13.48% की व्यावसायिक वृद्धि दर्ज की है।
- दिनांक 31.03.2018 को सकल अग्रिम की तुलना में खुदरा ऋण का प्रतिशत 21.33% है।
- खुदरा ऋण के अंतर्गत उत्पादों को अधिक आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रस्तावों को उदार तथा औचित्यपूर्ण बनाया है। वित्तीय वर्ष के दौरान, तीन नए उत्पाद अर्थात् पीएसबी बंधक ऋण, पीएसबी व्यापार ऋण और पीएसबी एसएमई तरलता प्लस का शुभारम्भ किया गया।
- बैंक ने सभी अंचलों में उधार की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बाह्य सतर्कता अभिकरणों का पंजीकरण किया है।

- Implementation of RuPay Pre-paid card.
- Implementation of Bharat Bill Payment System (BBPS)(Pre-login)
- Implementation of JAWS software for supporting the visually challenged staff.
- Bank has opened 14 new branches out of which 50% branches i.e. 7 new branches were opened in Unbanked Rural Centre.
- Acquiring of Japan Credit Bureau (JCB) and Union Pay International (UPI) Customers' transactions at PSB ATMs
- Display of Aadhaar E-verification status on PSB ATMs

AWARDS & ACHIEVEMENTS

- Bank was awarded CIMSME Excellence Award 2016-17 for contribution to Micro Credit by Hon'ble Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs Sh. Arjun Ram Meghwal
- The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (**ASSOCHAM**) has awarded Bank "Agriculture Banking & Government Schemes in the Small Bank Class" ASSOCHAM Social Banking Excellence Award" by Sh. Shiv Pratap Shukla, Hon'ble Minister of State for Finance, Govt. of India for contribution in growth of Agriculture & MSME Segment.
- Bank has received CIMSME Excellence Award 2016 under Financial Inclusion through BC Model on 20.04.2017, Governance, Now Financial Inclusion Casebook Award on 18.01.2018 and SKOCH Award for BC Model on 10.03.2018 during this financial year.
- Bank's Junior hockey team won Inter College Hockey Tournament held at Amritsar.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

- Total Priority Sector Advances increased from Rs. 24928 crore as on 31.03.2017 to Rs. 28685 crore as on 31.03.2018.
- Bank's Agriculture advances increased from Rs. 11355 crore as on 31.03.2017 to Rs.12697 crore as on 31.03.2018 i.e by Rs. 1342 crore.
- Bank's advances to Small & Marginal Farmers increased to Rs. 6464 crore which is 9.76% of March, 2017 ANBC against the RBI stipulated target of 8.0%.
- Bank made advances to the tune of Rs.1009.79 crore against the target of Rs. 1040 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana which is 97.09% against the target.
- Bank has issued RuPay Debit Cards in 2.12 lac KCC accounts out of the total operative KCC accounts of 2.17 lac (97.69%) as on 31.03.2018.
- Bank has 19 Financial Literacy Centres (FLCs) at block level in Punjab & Haryana *to spread financial literacy among people.*
- One of three RSETIs i.e. Moga was given highest grade 'AA' by Ministry of Rural Development for the year ended 31.03.2017 making it eligible for Govt. grants for training of rural unemployed youths.
- Bank signed MoU with Central Warehousing Corporation, National Collateral Management Services Limited and Prestige Bulk Handling Corporation (P) Ltd for Financing against warehouse receipt under Agri-produce Pledge Loan scheme.
- Bank has signed MoU with M1 Exchange on TReDS platform for bill discounting of MSME.

RETAIL LENDING

- The Retail Lending portfolio of the Bank as on 31.03.2018 stands at Rs 14894.90 Cr and thereby, Retail Lending has registered a business growth of 13.48% over the previous year.
- The percentage of Retail Advances to Gross Advances was 21.33% as on 31.03.2018.
- The Bank has rationalized the Retail Lending products to make them more attractive and competitive. During the FY, three new products viz. PSB Mortgage Loan, PSB Vyapar Loan and PSB SME Liquid plus were launched.
- The Bank has empanelled External Due Diligence Agencies across the Zones to improve quality of lending.

आस्ति गुणवत्ता

बैंक के अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण के लिए प्रयास जारी रहे हैं तथा विधिक साधनों एवं बातचीत पर आधारित समझौतों सहित वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया है। "प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम-2002" के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न केंद्रों पर वसूली कैंप आयोजित किए।

वर्ष के दौरान गैर-निष्पादित खातों में बैंक की वसूली औचित्यपूर्ण रही है। वसूली के लिए किए गए अथक तथा केन्द्रित प्रयासों के फलस्वरूप रु. 66.93 करोड़ की तकनीकी बट्टा खातों में वसूली सहित कुल रु. 806.05 करोड़ की वसूली की जा सकी।

बैंक ने नए गैर निष्पादित खातों में बढ़ोत्तरी को रोकने में हर संभव प्रयास किए। परिणामस्वरूप कुल तथा निवल एनपीए दिनांक 31.03.2017 के रु. 6297.59 करोड़ तथा रु. 4375.08 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2018 को क्रमशः रु. 7801.65 करोड़ तथा रु. 4607.87 करोड़ रहे। 31.03.2018 को गैर-निष्पादित आस्तियों की सकल एवं निवल स्थिति अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार है -

(राशि करोड़ में)

एनपीए	31.03.2017 की स्थिति अनुसार		31.03.2018 की स्थिति अनुसार	
सकल	6297.59	10.45%	7801.65	11.19%
निवल	4375.08	7.51%	4607.87	6.93%

दिनांक 31.03.2018 को बैंक का प्रावधान सुरक्षा अनुपात (तकनीकी बट्टा खातों सहित) 54.41% रहा।

ऋण निगरानी

बैंक ने ऋण एकसपोजरों वाले उच्च मूल्य खातों की प्रभावशाली निगरानी तथा नयी चूक गिरावट पर नियंत्रण रखने के लिए रु. 25 लाख से अधिक प्रधान कार्यालय स्तर पर तथा रु. 25 लाख तक के ऋणों की निगरानी हेतु आंचलिक कार्यालय स्तर पर अलग से नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इन निरीक्षण कक्षों ने अंचलों तथा शाखाओं के साथ निरन्तर आधार पर बड़े स्तर पर नए एनपीए बनने से रोकने को सुनिश्चित करने हेतु नजदीकी अनुवर्ती कार्रवाई की है। आरबीआई तथा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र मामलों की पुनरसंरचना की जा रही है जिसमें दबावग्रस्त आस्तियों हेतु संशोधित फ्रेमवर्क का प्रस्ताव है।

विभाग ने अन्य अभिकरणों जैसे एक्सपीरियन के साथ गठबंधन किया है और आवश्यक तत्परता बढ़ाने के लिए सिबिल के अन्य उत्पाद जैसे ई-पुष्टीकरण को नामांकित किया है। नियंत्रण प्रणाली के तौर पर, विभाग द्वारा कई कार्य-विधियों का विकास किया गया है ताकि स्वचालन से सूचना प्रदान करने/राजस्व की हानि पर रोक लगाने में सरलता हो।

निवेश प्रबंधन तथा विदेशी विनिमय

- 31.03.2018 को बैंक की कॉरपोरेट क्षेत्र की आवश्यकता, जोखिम संग्रह एवं निवेश नीति के अनुरूप निवेश-सूची संरचना सहित बैंक का सकल निवेश रु. 33150.03 करोड़ था।
- बैंक ने इस वर्ष सरकारी प्रतिभूतियों तथा गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूति में ट्रेडिंग गतिविधियों से अब तक का सबसे उच्चतम लाभ अर्जित किया जोकि मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के रु. 261.97 से 1.8% बढ़कर 31.03.2018 को रु. 266.82 करोड़ हो गया है।
- विदेशी विनिमय विभाग का कुल लाभ रु. 34.08 करोड़ है और वर्ष 2017-18 हेतु डीलिंग कक्ष का विनिमय लाभ रु. 19.68 करोड़ है।
- विभाग ने एक विदेशी विनिमय मार्केटिंग टीम बनाई है जो नियमित रूप से वर्तमान एवं भावी ग्राहकों के पास बैंक की विदेशी विनिमय व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए जाती है।

जोखिम प्रबंधन: बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जोखिम, परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर हैं और उनकी पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है, के लिए एक सुदृढ़ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरूप दिया है। बैंक के शिखर स्तर के प्रबंधन तथा बोर्ड के अधिकारों में प्रभावी जोखिम प्रबंधन तथा बैंक की जोखिम प्रवृत्ति को लागू करने का संपूर्ण दायित्व है। महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्र.का. जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) द्वारा बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की जाती है।

जोखिम प्रबंधन के कार्य जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) - बोर्ड स्तर की समिति द्वारा किए जाते हैं। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सी. आर.एम.सी.), आस्ति एवं देयताएं प्रबंधन समिति (एलको), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एम.आर.एम.सी.), और आईसीएएपी के अनुसार पूंजी आयोजना समिति जैसी अन्य समितियां हैं।

ASSET QUALITY:

The Bank continued to make concerted efforts to contain NPAs and has used all available tools of recovery including negotiated settlements and legal means. The provisions of "The Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act -2002" were used effectively. The Bank had also organized Recovery Camps during the year at various centers.

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year remained reasonable. The aggressive and focused efforts could result in the total recovery of over Rs. 806.05 Crore including recovery of 66.93 Crore in Technically Written Off Accounts.

Bank has made sincere and earnest efforts to contain fresh slippage. As a result our gross NPAs and net NPAs as on 31.03.2018 have been contained at Rs.7801.65 Crore and Rs.4607.87 Crore respectively against Rs. 6297.59 Crore and Rs. 4375.08 Crore as on 31.03.2017.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2018 vis-à-vis previous year is as under;

Amount in Crore)

NPA	As on 31.03.2017		As on 31.03.2018	
	Amount	Percentage	Amount	Percentage
Gross	6297.59	10.45%	7801.65	11.19%
Net	4375.08	7.51%	4607.87	6.93%

The Provision Coverage Ratio of the Bank (including T.W.O.A/Cs), as on 31.03.2018 stood at 54.41 %.

CREDIT MONITORING

"The Department had already set up a Control Room for proper and effective monitoring of large accounts, with exposure above Rs.25 Lac at HO and accounts upto Rs.25 Lac by separate Control Rooms at Zonal Offices. These Control Rooms have undertaken close follow-up with zones and branches on an ongoing basis to ensure reduction in slippage of accounts to a large extent. Restructuring of eligible cases is being done as per RBI and Ministry guidelines including Revised Framework for Resolution of Stressed Assets.

Department has entered into Tie –ups with other agencies like Experian and also enrolled for other products of CIBIL like e-verify for enhanced Due Diligence. As a control mechanism, various functionalities have been developed by the department, to ease reporting/put a check on revenue leakage with the help of automation.

INVESTMENT & FOREIGN EXCHANGE

- The Bank's total gross investment as on 31.03.2018 was Rs.33150.03 crore, with a portfolio composition consistent with the organization requirement, risk perception, and investment policy of the Bank.
- Bank made highest ever trading profit of Rs. 266.82 crore with a increase of 1.8% over March 2017 profit of Rs. 261.97 crore on account of active trading in G-sec and Non SLR securities,
- The total profit of Foreign Exchange Department is Rs. 34.08 Crore and dealing room exchange profit for the year 2017-18 is Rs. 19.68 crore.
- The Department has created a forex marketing team which regularly visits the current and prospective customers to increase the foreign exchange business of the Bank.

RISK MANAGEMENT: The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately monitored. The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. The implementation of Integrated Risk Management System in the Bank is monitored by HO Risk Management Department (RMD) headed by General Manager.

The Risk Management Function is managed through Risk Management Committee (RMC)- a board level subcommittee. Other committees are Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset and Liabilities Management Committee (ALCO), Operational Risk Management Committee (ORMC), Market Risk Management Committee (MRMC) and Capital Planning Committee as per ICAAP.

नीति-तंत्र: बैंक के समक्ष जोखिमों का मापन, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां तथा कार्यविधियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार ऋण प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) नीति, व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) व आपदा उद्धार प्रबंधन (डीआरएम) नीति, स्ट्रेवस टेस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने संबंधी तकनीकों की प्रयोग नीति तथा संपार्श्विक प्रबंधन, आईसीएपी नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, इंट्रा ग्रुप लेन-देनों एवं जोखिम के प्रबंधन तथा लॉस डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क पर नीति।

बैंक का बॉसल-II के साथ अनुपालन: भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2009 की प्रभावी तिथि से नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को अपनाया है। बॉसल-II के आधार पर बैंक ने पूंजी प्रभार की संगणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु रूपांतरित अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। बैंक ने बॉसल-III के दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है और सीआरएआर की संगणना शुरू की है जो जून, 2013 से प्रभावी है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सीआरएआर की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बॉसल-II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है। बॉसल-II के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने तथा बॉसल-III के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बैंक में विस्तृत संकलन जोखिम प्रबंधन उद्यम प्रक्रिया (ईआईआरएमएस) की स्थापना हेतु एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

आई.सी.ए.पी. नीति: बॉसल-II व बॉसल-III - स्तंभ 2- पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) विषयक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरूप है, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) नीति तैयार की गई है। विभिन्न अवशिष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। आईसीएपी परिणाम तिमाही आधार पर तैयार किया जाता है तथा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

प्रकटीकरण: बॉसल-II व बॉसल-III, स्तंभ-3 'बाजार अनुशासन' विषयक, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुपालन में बैंक के निदेशक-मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की गई है और इस नीति के अनुसार तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वेबसाइट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऋण जोखिम: ऋण-जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण-कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण शामिल हैं। ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा ऋण-जोखिम तथा नीति-निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इसके द्वारा उद्योग, कॉर्पोरेट, खुदरा तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

कॉर्पोरेट जोखिम के लिए ऋण रेटिंग जोखिम मॉडल और एनबीएफसी ऋण जोखिम, रियल स्टेट एवं खुदरा ऋण जोखिम, खुदरा ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेटिंग, एवं उद्योगों/पोर्टफोलियो का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेटिंग के उत्प्रवासों के लिए एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है।

बाजार जोखिम: बैंक का पोर्टफोलियो ब्याज-दरों तथा मुद्रा-दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप बाजार जोखिम से प्रभावित होता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) बाजार जोखिम से संबंधित काम-काज की निगरानी करती है। बैंक ने विभिन्न बाजार जोखिम मापन-प्रणाली व साधनों को लागू किया है। विभिन्न परिसीमाओं का कड़ा अनुपालन तथा उल्लंघनों में वृद्धि, यदि कोई हो, का उचित अनुसरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक मध्यस्थ कार्यालय भी स्थापित है।

तरलता प्रबंधन तंत्र सुस्थापित है जोकि बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को देय होने पर पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक की तरलता जोखिम को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है।

बैंक, विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार रूपांतरित अवधि पद्धति का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम प्रभार की संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियो पर भी जोखिम मूल्य (वीएआर) की गणना करता है।

परिचालनगत जोखिम: परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूल संकेतक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक परिचालनगत जोखिम की संरचना को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि परिचालनगत जोखिम (ओआरएम) प्रणाली परिचालनगत जोखिम पूंजी की गणना के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने में समर्थ हो सके। बैंक के पास लॉस डाटा प्रबंधन करने के लिए बोर्ड अनुमोदित लॉस डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क है ताकि बैंक की सम्पूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति(ओआरएम) को लागू करने में प्रबंधन हेतु न्यूनतम मानक स्थापित किए जा सकें और विस्तृत तथा मजबूत परिचालन लॉस डाटाबेस को बनाया जा सके।

POLICY FRAMEWORK: The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and control various risks that the Bank is exposed to. The various policies are Integrated Risk Management Policy, Asset-Liability Management (ALM) Policy, Credit Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management (ORM) Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management, ICAAP Policy, Integrated Risk Management Policy, Policy on Management of Intra Group Transactions & Exposures and Loss Data Management Framework.

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II: In terms of Regulatory Guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework w.e.f. 31.03.2009. Based on Basel II norms, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Modified Duration approach for Market Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk for computing the capital charge. The Bank has also implemented Basel III Guidelines and has started computing CRAR w.e.f. June 2013. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on a quarterly basis. Bank has geared for moving towards advanced approaches under BASEL II as suggested by RBI. Bank has also appointed a Consultant for setting up Enterprise Wide Integrated Risk Management System (EIRMS) in the Bank for moving to Advance approaches of Basel II and implementation of Basel III Guidelines.

ICAAP POLICY: In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for wherever required. The ICAAP outcome is prepared on half yearly basis and is reviewed by RMC.

DISCLOSURE: In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II& Basel III – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on quarterly / Half yearly / Annual basis, as per the policy, are displayed on the Bank's Website / Annual Report.

CREDIT RISK: Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate Exposure, NBFC Exposure, Real Estate Exposure and Retail Exposure, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/ portfolio, migration of credit ratings is undertaken.

MARKET RISK: The Bank's portfolio is exposed to market risk on account of changes due to interest rates and currency rates.

The Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools. Strict adherence to various limits and proper escalation of breaches, if any, are followed. Moreover, a Mid Office is also in place.

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they come due. It is designed to identify measure and manage the liquidity risk position of the Bank.

The Bank is computing the market risk capital charge as per the Modified Duration approach, by using Modified duration method, as per the regulator's guidelines. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio.

OPERATIONAL RISK: The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees the matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank is in the process of strengthening its ORM Framework & ORM systems so as to be able to migrate to advance approaches of calculation of Operational Risk Capital. The Bank has Board approved Framework for Loss Data Management to set minimum standards for management of Bank's Operational Loss Data in order to comply with the overall Operational Risk Management (ORM) Policy of the Bank and facilitate creation of a robust and comprehensive Operational Loss Database.

मानव संसाधन प्रबंधन

31.03.2018 को संवर्ग वार स्टाफ की संख्या निम्नानुसार रही:

श्रेणी	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018
अधिकारी	6663	6545
लिपिक	2241	2346
अधीनस्थ स्टाफ	496	429
कुल	9400	9320

रोजगार में महिलाएं: 31.03.2018 को हमारे कुल 9320 स्टाफ सदस्यों में से 2570 महिलाएं हैं जो कुल योग का 27.58% बनती हैं।

महिला कार्मिकों हेतु विराम अवकाश योजना: बैंक की महिला कार्मिकों हेतु सहायक कार्य करने का परिवेश बनाने तथा कैरियर में सरलता के साथ प्रगति करने के लिए, बैंक के बोर्ड ने बैंक की सभी स्थायी पूर्णकालीन महिला कार्मिकों के लिए उनके संपूर्ण कैरियर में 2 वर्ष के विराम अवकाश योजना का अनुमोदन किया है।

महिला सशक्तिकरण: बैंक ने अपनी महिला कार्मिकों सशक्त बनाने और उनके कैरियर में वृद्धि करने हेतु विशेष कदम उठाए हैं। प्रधान कार्यालय में स्थित प्र.का. मानव संसाधन महिला कक्ष बैंक में महिला कार्मिकों से प्राप्त फीडबैक/सुझावों, अनुरोधों तथा शिकायतों/शिकायती पत्रों पर तुरंत निवारण के लिए कार्रवाई करता है और बैंक की सभी महिला कार्मिकों के कल्याण की देखभाल करता है। 08 मार्च, 2018 को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, माननीय कार्यकारी निदेशकों ने महिला कार्मिकों को संबोधित किया और अग्रसर होने हेतु प्रोत्साहित किया।

पदोन्नतियां: बैंक वर्ष दर वर्ष लगभग सभी श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों को अच्छा काम (Top performers) करने वालों को पुरस्कार के रूप में तथा उन्हें और जिम्मेवार पदों को संभालने के उद्देश्य से पदोन्नत नियमित रूप से करता रहता है। वर्ष के दौरान निम्न पदोन्नतियों की गई हैं:—

से पदोन्नतियां	उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक	सहा. महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक	मुख्य प्रबंधक से सहा. महाप्रबंधक	वरि. प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक	प्रबंधक से वरि. प्रबंधक	अधिकारी से प्रबंधक	लिपिक से अधिकारी	अधीनस्थ से लिपिक	योग
सामान्य	1	-	3	16	26	304	233	-	583
विशेषज्ञ	-	1	-	2	36	23	-	-	62
योग	1	1	3	18	62	327	233	-	645

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास: प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास का एक अंतरंग हिस्सा है। बैंकिंग उद्योग के वर्तमान प्रतिस्पर्धी परिवेश में, स्टाफ को तकनीक में नवीनतम विकास, प्रणाली, प्रक्रिया और कानूनी पहलुओं आदि से रुबरू कराना अधिक महत्वपूर्ण है।

आकर्षक संस्थागत संस्कृति का निर्माण करने में प्रशिक्षण एवं विकास महत्वपूर्ण कदम हैं जिसमें कार्मिकों को बेहतर करने के लिए उत्साहित एवं प्रोत्साहित किया जाता है। इससे कार्मिकों की क्षमता का निर्माण होता है और विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु ज्ञान एवं कौशल प्राप्त होता है। बैंक द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य नई भर्तियों को एकीकृत कर और उनके कौशल, ज्ञान में वृद्धि करते हुए, वर्तमान कार्मिकों की संस्थागत लक्ष्यों के प्रति सोच में परिवर्तन करना ताकि बैंक को देश का तकनीकी एवं सेवा के प्रति समर्पित बैंक बनाया जा सके।

बैंक में भर्ती हुए नए परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे अभिमुखता प्रशिक्षण, शाखा स्तर पर अग्रिमों हेतु प्रशिक्षण, ऋण प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऋण मूल्यांकन, एन.पी.ए. प्रबंधन और एनपीए की वसूली पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए।

बैंक ने स्टाफ सदस्यों के उनके पेशागत कौशल को निरंतर विकसित करने के लिए आईआईबीएफ द्वारा प्रस्तावित 19 प्रमाणित एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिपूर्ति की है। बैंक ने जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी के ई-लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए आईआईबीएफ से करार भी किया है जिसको इंटरनेट पर "एचआरडी पहल: ई-लर्निंग" के शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

बैंकों में क्षमता विकास: भारतीय रिजर्व बैंक की "क्षमता विकास पर समिति" की अनुशंसाओं का अनुपालन: भारतीय रिजर्व बैंक की "क्षमता विकास पर समिति" के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने विशेषज्ञ क्षेत्र में कार्य कर रहे स्टाफ जैसे ट्रेजरी परिचालन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन, ऋण प्रबंधन के लिए उक्त को अनिवार्य किया है। बैंक उन स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति पर विचार करेगा जिन्होंने संबंधित विशेषज्ञ विभागों/ प्रधान कार्यालय की डैस्कों में आवश्यक प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है। **बैंक उनको कोर्स फीस (जी.एस.टी. छोड़कर) का अधिकतम एकमुष्ट रु. 15,000/- केवल एक कोर्स के लिए प्रतिपूर्ति करेगा जिन्होंने बैंकों में क्षमता विकास के अंतर्गत निर्धारित प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है।**

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के परिपेक्ष्य में बैंक ने समस्त अपने कार्यालयों/शाखाओं में नियुक्त सभी कार्मिकों को अल्पावधि में एक ही समय में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विविध वेबनॉर का आयोजन करता है।

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The cadre wise staff strength as on 31.03.2018 is as under:

Category	31 st March 2017	31 st March 2018
Officers	6663	6545
Clerks	2241	2346
Sub-staff	496	429
Total	9400	9320

Women in employment: Out of the total strength of 9320 as on 31.03.2018, the women employees are 2570 constituting 27.58% of the total strength.

Sabbatical Leave Scheme for the Women Employees: To facilitate a smooth career progression and conducive working environment for the women employees of the Bank, the Board of the Bank has approved the Sabbatical Leave Scheme for all permanent full time Women employees of the Bank for maximum of 2 years during their entire career.

Women Empowerment The Bank has taken specific steps to empower its women employees and to plan their career growth. HO HRD Women Cell at Head Office looks after feedback/ suggestions, requests and complaints/grievances, received from women staff of the Bank for quick disposal and Welfare of all Women Staff Members of the Bank. On 8th March 2018, on the occasion of International Women's Day, Executive Directors addressed the women employees and motivated them to excel.

Promotions: Bank is regularly promoting people almost in all cadres year after year to keep on rewarding its top performers and make them assume higher responsibilities. Following promotions have been effected during the year:-

Promotions from	DGM to GM	AGM to DGM	CM to AGM	SRM to CM	MGR to SRM	OFF to MGR	CLK to OFF	SUBSTF to CLK	Total
General	1	-	3	16	26	304	233	-	583
Specialist	-	1	-	2	36	23	-	-	62
Total	1	1	3	18	62	327	233	-	645

Training & Human Resources Development: Training is an integral part of human resource development. In the current competitive environment in the Banking Industry, it is all the more important to keep the staff abreast of the latest developments in technology, system and procedures, legal aspects etc.

Training and grooming are important steps in creating a vibrant organizational culture in which employees are encouraged & motivated to perform better. It helps in augmenting the competencies of employees & equip them with the right skills & knowledge for meeting ever changing business needs of customers in different segments. The training programs organized by the Bank are geared towards integrating the new recruits into the Bank & in enhancing the skills, knowledge and for reorienting the attitude of its existing work force to the organizational objectives so as to transform the Bank to a technology & service driven Bank of the country.

The newly recruited POs were provided Orientation Training, Training on Advances at Branch Level, Training Programme on Credit Management, Credit Appraisal, NPA Management & Recovery of NPAs.

To encourage staff members to upgrade their professional skills, Bank has incentivized re-imburement of the full course fee of 19 Certified and Diploma Courses offered by IIBF. Bank has also tied up with IIBF for e-learning material for JAIIB & CAIIB which has been placed on Bank's intranet under the head "HRD Initiative: E-Learning".

Capacity Building in Banks: Compliance with the recommendations of the "Committee on Capacity Building" of Reserve Bank of India: In compliance with the directions of 'Committee on Capacity Building' of Reserve Bank of India, the Bank has made it mandatory for the staff working in the specialized areas such as Treasury operations, Risk management, Accounting, Credit management. The Bank shall consider posting of staff members who obtain required certifications in the related specialized Departments/ on the desks at Head Office. **Bank will reimburse a lump sum amount of course fee (excluding GST) upto a maximum of Rs. 15000/- for one course only to those who attain the certification prescribed under Capacity Building in Banks.**

In view of MoF guidelines, Bank regularly conducts Webinars to reach out to all staff members of all branches/offices at the same time to train them in a short span.

वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक अपने 50% स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयत्न करता है। इस दृष्टिकोण से, सी.बी.आर.टी., चण्डीगढ़, निक्सकॉम, नोएडा, एस.टी.सी., दिल्ली में सामान्य बैंकिंग एवं कंप्यूटर ज्ञान में 400 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक आंचलिक कार्यालय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिनमें विभिन्न वर्गों के 7601 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। शीर्ष स्तर पर 115 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

निक्सकॉम, नोएडा एवं एस.टी.सी., दिल्ली में नए पदोन्नत वरिष्ठ प्रबंधकों, प्रबंधकों एवं अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रत्यक्ष भर्ती: वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, तेजी से शाखाओं का विस्तार, निरन्तर व्यावसाय में वृद्धि और सेवानिवृत्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए, बैंक ने भर्ती आरम्भ की। बैंक की विभिन्न मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दोनो विशेषज्ञ एवं परीवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती की गई। वर्ष 2017-18 के दौरान, 3 राजभाषा अधिकारी, 1 आईटी अधिकारी और वेतनमान-1 में 134 परीवीक्षाधीन अधिकारी तथा लिपिकीय वर्ग में 445 एकल विंडो परिचालक-। ने बैंक में कार्यग्रहण किया।

औद्योगिक संबंध: बैंक में संपूर्ण वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कामगार एवं अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विकास तथा अन्य विषयों पर प्रबंधन के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श में सहभागिता की और उनको सुलझाने के प्रयास किए गए। स्टाफ सदस्यों द्वारा उठाए गए परिवादों के निवारण के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार परिवाद निवारण समिति का गठन भी किया गया है। बैंक हितों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न अदालतों/ट्रीब्यूनलों में लंबित सेवा से संबंधित मामलों की उचित निगरानी भी की गई।

आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों को रोजगार: बैंक समाज के अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति संबंधित व्यक्तियों के हित एवं विकास के प्रति सांविधानिक सुरक्षा तथा सामाजिक लक्ष्य के प्रति बचनबद्ध है। बैंक भर्ती में पदों के आरक्षण के मामलों में आरक्षण नीति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

बैंक में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों के आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों की निगरानी करने हेतु एक विशेष एससी/एसटी कक्ष की स्थापना की गई है। बैंक के एससी/एसटी कार्मिकों की सभी संबंधित मामलों में शिकायत निवारण के लिए तथा विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकारी जोकि महाप्रबंधक की रैंक का है, को पदनामित किया गया है।

दिनांक 31.03.2018 को अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों की क्रमशः संख्या 1884 और 595 है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के कार्मिक संख्या निम्न है:

श्रेणी	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अन्यज पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सेवाकर्मी	दिव्यांग
अधिकारी	1176	498	1373	59	144
लिपिक	557	81	563	167	35
अधीनस्थ स्टाफ	151	16	28	42	9
कुल	1884	595	1964	268	188

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां तथा आर्थिक सहायता

हमारे बैंक में कार्मिकों के सेवाकाल के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करने अथवा मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को योजना के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के स्थापन पर अनुग्रह राशि का भुगतान करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने पात्र मामलों में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को वित्तीय सहायता के रूप में रु. 4.06 लाख का कुल भुगतान किया है।

कार्मिक कल्याण: बैंक के कार्मिकों को विकासशील गतिविधियों में प्रभावी सहभागिता करने हेतु उत्साहित एवं प्रोत्साहित करने के लिए, वेलफेयर ट्रस्ट स्टाफ के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चला रहा है।

बैंक की ओर से बैंक के सभी कार्मिकों को उनके जन्म दिन पर स्मृति चिह्न/पहचान का प्रतीक

एक संस्था की सफलता और वृद्धि में कार्मिक की सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कार्मिक की सहभागिता के विभिन्न आयामों में एक, उसकी पहचान है। पहचान से एक व्यक्ति के साथ-साथ पूरी टीम को एक संदेश जाता है। बैंक का पक्का मत है कि एक सहभागिता करने वाला कार्मिक उच्च कार्यनिष्पादन करता है और उसके काम में लगाव और रुचि जागृत होती है। तदनुसार, कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण और गुडविल भावना दिखाते हुए, बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन के साथ कार्मिकों की सहभागिता के प्रति एक योजना आरम्भ की है। बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन के साथ बैंक की ओर से बैंक के सभी एवं प्रत्येक कार्मिक, चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हो, को उनके जन्म दिन पर रु. 200 (अधिकतम सीमा) का स्मृति चिह्न/पहचान का प्रतीक देने की योजना शुरू की है।

The Bank endeavored to provide training to 50% of its employees during the Financial Year 2017-18. With this in view, 400 programmes were conducted in General Banking & Computer knowledge at CBRT Chandigarh, NIBSCOM Noida, STC Delhi & Locational Trainings were conducted at Zonal Offices in various fields from 1st April 2017 to 31st March 2018, in which training was imparted to 7601 employees of different cadres. 115 Officers were imparted training at Apex Level.

Management Development Programme for newly promoted Senior Managers, Managers & Officers was conducted at NIBSCOM & STC Delhi.

Direct Recruitment: The Bank launched recruitment drive to cater to the challenges of superannuation, sustained business growth and rapid branch expansion during the financial year 2017-18. Recruitment of both the Specialist Officers and Probationary Officers was done to address the diverse manpower requirement of the Bank. During the year 2017-18, 3 Official Language Officer, 1 IT Officer, 134 Probationary Officers in Scale –I and 445 Single Window Operators-A in Clerical cadre have joined the Bank.

Industrial Relations: The Industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. The representatives from Workers and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels and efforts were made to resolve the same. A Grievance Redressal Committee has been constituted as per the guidelines received from Ministry of Finance to redress the grievances raised by staff members. Proper monitoring of service matter cases pending in various courts/tribunals was done to safeguard Bank's interest.

Employment to Reserved Category Employees: Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for the development and welfare of persons belonging to SC, ST and Other Backward Classes of the society. The Bank observes all guidelines stipulated by the Govt. of India in respect of Reservation Policy for reservation of posts in recruitments.

A special SC/ST cell has been set up in the Bank to monitor the Reservation & other provisions for SC/ST employees. An executive in the rank of General Manager has been designated as Chief Liaison Officer for SC/ST employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to SC/ST employees and takes care of all matters of grievance redressal of SC/ST employees of the Bank.

The staff strength of SC/ST employees stood at 1884 and 595 respectively on 31.03.2018. The staff strength under various reserved categories is as under:-

CATEGORY	SC	ST	OBC	EX-SM	PWD
OFFICERS	1176	498	1373	59	144
CLERKS	557	81	563	167	35
SUB-STAFF	151	16	28	42	9
TOTAL	1884	595	1964	268	188

Compassionate Appointments and Financial Assistance to the Dependents of Deceased Employees

Our Bank is having scheme for compassionate appointment on compassionate grounds or payment of ex-gratia amount in lieu of compassionate appointment to eligible family of the deceased employee who dies while in service. During the financial year 2017-18, Bank has made total payment of Rs.4.06 lac towards financial assistance to the families of the deceased employees in eligible cases.

Staff Welfare: In order to motivate and encourage the staff for effective participation in development activities, the Welfare Trust of Employees is maintaining various welfare schemes for the staff.

Memento/Token of Recognition To All Employees of the Bank on their Birthdays on behalf of the Bank.

Employee engagement plays an important role in the success and growth of an organization. One of the various tools of employee engagement is **Recognition**. Recognition sends a powerful message to the individual as well as to the rest of the team. The Bank strongly believes that an engaged employee performs at a higher level and bring passion and interest to his/her job. Accordingly, with a view to motivate the employees and as a goodwill gesture, the Bank with the approval of the Board has launched a new scheme towards employee engagement in the Bank. The Bank with approval of the Board introduced a scheme of giving a memento/ token of recognition of approx. Rs.200 (maximum limit) on behalf of the Bank to each and every employee irrespective of his/her cadre on his/her Birthday.

एस.एम.जी.एस.-IV एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति टोकन राशि की मात्रा में वृद्धि तथा सेवानिवृत्ति पर सभी कार्मिकों को सेवानिवृत्त प्रतीक चिह्न/ट्राफी प्रदान करना: बैंक के निष्ठावानों को सम्मानित करने जिन्होंने बैंक की वृद्धि हेतु अथक परिश्रम करते हुए अपनी पद की गरिमा के साथ दायित्वों का निर्वाहन करने पर बोर्ड ने एस.एम.जी.एस.-IV एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति टोकन राशि की मात्रा में वृद्धि की है। आगे, एक कदम और, सेवानिवृत्ति पर सभी कार्मिकों को अधिकतम रु. 2,000/- तक का पंजाब एण्ड सिंध बैंक का मेटालिक प्रतीक चिह्न/ट्राफी/बैज प्रदान करने का अनुमोदन किया गया, चाहे वे किसी भी कैडर से संबंधित हों। यह ट्राफी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों को भी प्रदान की जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी

- ग्राहकों को जिनके गलत प्रयासों के कारण इंटरनेट बैंकिंग अनुपलब्ध हो गई थी, "इनेबल/इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट" की कार्यप्रणाली उपलब्ध करा दी गई है।
- ई-केवाईसी वर्जन 2.1 लागू कर दिया गया है।
- मुद्रा खातों के लिए इंटरनेट बैंकिंग आरम्भ कर दी गई है।
- ग्राहकों हेतु कैश क्रेडिट खाते में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. सुविधा शुरू कर दी गई है।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक में प्रत्येक स्तर पर सुपरिभाषित दायित्वों के साथ आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली है। यह आंतरिक लेखा परीक्षण निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग के माध्यम से परिचालित करती है। कार्यकारियों की लेखा परीक्षा समिति, जोकि प्रथम स्तरीय समिति है, निरीक्षण और लेखा परीक्षण कार्य देखती है।

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रणाली पहचान, नियंत्रण प्रबंधन जोखिमों की आंतरिक लेखा परीक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बैंक लेखा परीक्षण करता है जैसे जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण, प्रबंधन लेखा परीक्षण और निरीक्षण (एमएआई) और ऋण लेखा परीक्षण जिसके द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकताओं को कवर किया जाता है। बैंक की व्यवसायिक ईकाइयां/कार्यालय जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण के अधीन है और प्रबंधन लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण के क्षेत्र में 24 आंचलिक कार्यालय एवं 29 प्रशासनिक कार्यालय आते हैं और नीतियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, के अतिरिक्त उसके निष्पादन की गुणवत्ता और रु. 3 करोड़ एवं उससे अधिक के ऋण जोखिम बाह्य सनदी लेखाकारों के लेखा परीक्षण के अधीन आते हैं। बैंक पंजीकृत कानूनी सलाहकारों के माध्यम से लीगल लेखा परीक्षण करता है। निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग के पास विशेष कक्ष है जो आंकड़ों की निगरानी ऑफसाइट निगरानी यूनिट (ओ.एम.यू.) द्वारा करता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक की 1261 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया, 423 शाखाओं/कार्यालयों को समवर्ती लेखा परीक्षण प्रणाली के अधीन लाया गया, 126 शाखाओं/कार्यालयों में सूचना प्रणाली लेखा परीक्षण किया गया और समवर्ती लेखाकारों/लेखाकारों एवं आंतरिक स्टाफ की सेवाएं लेते हुए 822 शाखाओं के राजस्व लेखा परीक्षण किए गए।

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग लोक उत्पीड़न/शिकायतों के निवारण की निगरानी करता है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान 5837 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 46 शिकायतें निवारण हेतु प्रक्रिया में हैं। बैंकिंग लोकपाल ने वर्ष के दौरान बैंक के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं दिया।

सारांश में, बैंक का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग अपने बोर्ड, नियामक एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं प्रणाली का प्रभावी रूप से निगरानी करने हेतु अनुपालन कर रहा है।

अनुपालन कार्यकलाप: मुख्य अनुपालन अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में अनुपालन विभाग कार्य कर रहा है। निदेशक मण्डल की अनुमोदित अनुपालन नीति के अनुसार स्वतन्त्र अनुपालन विभाग कार्य करता है। अनुपालन विभाग संबंधित व्यवसायिक विभागों को नियामक दिशा-निर्देशों को प्रेषित करता है और निदेशक मण्डल/ए.सी.बी. के समक्ष अनुपालन की स्थिति को प्रस्तुत करता है। अनुपालन जांच एवं स्वयं प्रमाणीकरण के माध्यम से विभिन्न नियामक/सांविधिक दिशा-निर्देशों एवं कोडों के अनुपालन को अनुपालन विभाग सुनिश्चित करता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, भा.रि. बैंक की एस.एस.एम. टीम ने 22 मई, 2017 से 07 जुलाई, 2017 तक पर्यवेक्षण मूल्यांकन (आई.एस.ई.) करने के लिए ऑन साइट निरीक्षण किया और जोखिम को न्यूनतम (आर.एम.पी.) करने की योजना के साथ दिनांक 31.03.2017 की जोखिम आंकलन रिपोर्ट (आर.ए.आर.) प्रस्तुत की। बैंक एसएसएम, भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि. बैंक) के समन्वय के साथ जोखिम को न्यूनतम करने की योजना (आर.एम.पी.) को लागू करने पर कार्य कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, भा.रि. बैंक अथवा अन्य किसी नियामक निकाय द्वारा बैंक के विरुद्ध कोई नियामक दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

Enhancement in quantum of Retirement Token amount being given to Officers in SMGS-IV and Above and Presenting Retirement Memento/Trophy to all Employees on Retirement: In view of honoring the stalwarts of the Bank who have worked tirelessly to work for the growth of the Bank by shouldering the responsibilities their position demands, the Board approved to enhanced the quantum of retirement token amount given to officers in SMGS-IV and above. Further, as a step ahead it was approved to present a metallic memento/trophy/plaque of Punjab & Sind Bank for amount not exceeding Rs.2000/- (Inclusive of taxes) to all staff members on their superannuation irrespective of their cadre. The trophy will also be presented to Executive Directors and Chairman & Managing Director on their superannuation.

INFORMATION TECHNOLOGY

- "Enable/Activate Internet Banking" functionality has been provided for customers to activate their user accounts whose Internet Banking is disabled due to wrong attempts.
- Implementation of E-KYC version 2.1.
- Internet Banking for Mudra Accounts has been started/enabled.
- NEFT/RTGS facility in CC Accounts has been provided for customers.

INTERNAL CONTROLS

"The Bank has in-built control systems with well-defined responsibilities at each level. It conducts internal audit through its Inspection & Audit Department. Audit Committee of Executives, being first tier Committee oversees the Inspection & Audit function.

The inspection & audit system plays an important role in identification, control and management risks through internal audit functions. The Bank carries out audits-like Risk Based Internal Audit (RBIA), Concurrent Audit (CCA), IS Audit, Management Audit & Inspection (MAI) and Credit Audit through which different facets of Internal Audit requirements are covered. The Bank's business units/offices are subjected to RBIA, CCA & IS Audit and Bank's Management Audit & Inspection covers 24 Zonal Offices & 29 Administrative Offices and examines policies and procedures, besides quality of execution thereof and credit exposures of Rs. 3.00 crore & above are subjected to Credit Audit by external Auditors. The Bank conducts the legal audit through empaneled legal advisors. The Inspection and Audit Department has special cell for monitoring data through Offsite Monitoring Unit (OMU).

During FY 2017-18, Risk Based Internal Audit was concluded in 1261 branches of the Bank, 423 branches/offices were brought under Concurrent audit system, Information System Audit was conducted in 126 branches/offices and 822 Branches were subjected to Revenue audit by engaging services of CAs/CA firms and internal staff.

The Inspection Department is monitoring redressal of public grievances/complaints. During FY 2017-18, 5837 complaints were received of which 46 complains are in process for redressal. The Banking ombudsman no award against the Bank during the year.

To summarize Bank's Inspection & Audit Department has been effectively monitoring the compliance of the system & procedures laid down by its own Board, the Regulator and Government of India.

COMPLIANCE FUNCTION: Compliance Department is working under the guidance and supervision of Chief Compliance Officer. The independent Compliance Department works as per Board approved Compliance Policy. Compliance Department disseminates the regulatory guidelines to respective business departments and places the status of compliance before Board/ ACB. Compliance Department ensures the compliance of various regulatory/statutory guidelines & codes by the way of self-certification and compliance testing.

During the FY 2017-18, RBI SSM team conducted on-site Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) from May 22 to July 07, 2017 submitted its Risk Assessment Report (RAR) as on 31.03.2017 along with Risk Mitigation Plan (RMP). Bank is working in co-ordination with the SSM, Reserve Bank of India (RBI) to implement the Risk Mitigation Plan (RMP).

During the FY 2017-18, no regulatory penal action was taken against the Bank by RBI or any other regulatory bodies.

जन-संपर्क

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने कॉर्पोरेट स्तर पर सार्वजनिक रूप से अपनी छवि को मजबूत करने के लिए एक मल्टी मीडिया रणनीति अपनाई और तदनुसार प्रचार-प्रसार संपूर्ण देश के विभिन्न दर्शकों को परिलक्षित कर अपने उत्पादों, निविदा, वित्तीय और अन्य प्रदर्शन, विज्ञापन आदि को विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से किया गया। प्रचार-प्रसार बजट और इसकी उपयोगिता को विकेंद्रित कर आंचलिक प्रबंधकों को शक्ति प्रदान की गई ताकि वे स्थानीय क्षेत्र के व्यापारिक क्षमताओं को देखते हुए प्रचार साधनों के निर्णय और नियमित एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए योग्य मामलों पर अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकृति प्रदान कर सकें।

प्रधान कार्यालय स्तर पर बैंक ने बाह्य प्रचार उपकरणों अर्थात् प्रायोजक तथा बैनरों एवं होर्डिंगों का उपयोग उच्च महत्व के प्रचार जैसे गुरुपूर्व महोत्सव, सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट, पटना साहिब, बिहार में श्री गुरु गोविंद सिंह जी पर भाई वीर सिंह साहित्य सदन द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में सहभागिता, विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा ओलंपियाड में सहभागिता, एसएआरएस मेला में सहभागिता एवं अमृतसर एयरपोर्ट पर होर्डिंग्स द्वारा औद्योगिक प्रचार तथा वाघा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक बैंक की पहुँच का विस्तार किया गया। बैंक ने अपने परंपरागत कैलेंडर 2018 जोकि वृहत् रूप में बैंक के ग्राहकों और शुभचिंतकों में बाँटा गया, के द्वारा अत्यधिक प्रचार पाया और प्रिंट मीडिया में बैंक की प्रेस विज्ञप्तियों को स्थान मिलने से इस क्षेत्र में अच्छा प्रचार-प्रसार हुआ है।

बैंक को इन सभी गतिविधियों से राष्ट्र की सेवा में स्वयं को पुनःसमर्पित करने और प्रचार-प्रसार क्षेत्र में बड़ी सफलता अर्जित करने हेतु सक्षम किया।

सतर्कता

सतर्कता प्रशासन के ज्ञान में संवृद्धि करने तथा संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से तथा कार्यक्षेत्र स्तर पर सतर्कता को उत्पन्न करने एवं पोषित करने की नीति और अन्य प्रथाओं अथवा स्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं करने पर कार्यरत स्टाफ को शिक्षित करने के लिए विभिन्न उपाय जैसे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निरोधात्मक सतर्कता पर एक व्याख्यान को सम्मिलित करने, पीएसबी विजिल (तीसरा अंक) में निरोधात्मक सतर्कता पर विभिन्न लेखों को सम्मिलित करने आदि को लागू किया गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने दिनांक 30.10.2017 से 04.11.2017 तक केंद्रीय विषय-वस्तु "मेरी दूरदर्शिता - भ्रष्टाचार मुक्त भारत" पर सत्य निष्ठा के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। कार्यक्रम के दौरान सतर्कता समाचार पत्र "करें और न करें" का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त, बैंक स्तर पर संपूर्ण देश में ग्राम सभाओं/स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें एक लाख से अधिक सहभागियों ने सहभागिता की। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों की गई जिनमें - वाद-विवाद, वक्तृत्व, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, रैलियां, सेमीनारों/कार्यशालाओं, पैदल यात्राओं, साईकिल यात्राओं, रोड शो, मोबाईल वैनों के माध्यम से जागरूकता, स्वास्थ्य कैंपों, पैम्पलेटों/के वितरण/बैनरों, जर्नल/न्यूज लैटर जारी कर, स्लोगन प्रतियोगिताओं, निबंध लेखन प्रतियोगिताओं आदि सम्मिलित थीं। इन कार्यक्रमों में उपस्थित रह कर, समाज के विशिष्ट व्यक्तियों ने शोभा बढ़ाई। स्टाफ सदस्यों/बैंक के ग्राहकों/आम जनता को बैंक की वेब साईट पर उपलब्ध यू.आर.एल. के माध्यम से ई-शपथ लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप 15000 से अधिक व्यक्तियों ने सहभागिता की और संपूर्ण देश में ई-शपथ सुविधा का लाभ उठाया।

सतर्कता विभाग द्वारा कुछ शाखाओं की सामान्य शीर्षों, निष्क्रिय खातों, के.सी.सी. एवं मीयादी ऋण खातों आदि में लेन-देन की ऑफ साईट निगरानी के आधार पर, कुछ अनियमितताएं और संदेहास्पद लेन-देन पायी गई। तदनुसार, सतर्कता विभाग की जानकारी के आधार पर बैंक ने प्रत्येक अंचल से दो अधिकारियों को नामित करने का निर्णय लिया जो निरोधात्मक सतर्कता उपाय के तौर पर शाखा के लेन-देन की नियमित निगरानी करेंगे।

दंडात्मक सतर्कता

जैसा कि प्रचलन में है, इस वर्ष भी सभी अनुशासनात्मक प्राधिकारियों/नियंत्रकों की सक्रिय सहभागिता और माननीय सी.वी.सी./अन्य सरकारी अभिकरणों के समन्वय से, अनिर्णीत अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों में कमी लाने के लिए विशेष जोर दिया गया जो निम्न से परिलक्षित है:

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अनिर्णीत सतर्कता(आरडीए) मामले	70	58	49	54*
अनिर्णीत सीवीसी संदर्भित मामले	01	00	00	00
जारी आरोप पत्र	63	56	53	62
ओडीआई सूची में अधिकारियों की संख्या	120	98	81	75

* उक्त 54 मामलों में से, दिनांक 31.03.2018 से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारियों को 05 मामलों में दूसरे स्तर की सलाह दी जा चुकी है और इनको आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने पर जल्दी ही निस्तारित कर दिया जाएगा।

PUBLIC RELATION AND PUBLICITY

During the financial year 2017-18, the Bank adopted a multi-media strategy to build up its image in Public at corporate level and accordingly publicity was made through the print media by release of its product, tender, financial and other display/notice ads in different newspapers, magazines and souvenirs targeting various audiences all over the country. The publicity budget and its utilization was decentralized empowering the Zonal Heads to decide the means of the publicity depending upon the business potential of the local area, to sanction the deserving cases under their discretionary powers for proper and effective control.

The Bank at HO level used outdoor publicity tools i.e. Sponsorship and Display of Banners & Hoardings on events of high publicity value e.g. Gurpurab celebrations, Surjit Hockey Tournament, participation in Exhibition organized by Bhai Vir Singh Sahitya Sadan on Sri Guru Gobind Singh Ji at Patna Sahib, Bihar, participation at National Talent Olympiad for students with special needs, participation at SARAS Mela and also corporate publicity through hoardings at Amritsar Airport and at Wagha International Border facilitated extension of outreach of the Bank. The Bank also received immense publicity through Bank's traditional Wall Calander 2018 which was widely distributed among clients and well wishers of the Bank and the Bank also earned well deserved publicity by way of coverage of its press releases by the print media.

All these activities facilitated the Bank to rededicate itself to the service of the nation and enabled it to earn a well deserved mileage on the publicity front.

VIGILANCE

With the aim to sensitize and enrich the knowledge of Vigilance Administration and in order to inculcate and nurture a culture of alertness at the ground level and to educate the operating staff for curbing non-observance of the laid down procedures or other malpractices. Various measures like lectures on Preventive Vigilance in training programmes, release of PSB Vigil (IIIrd Volume) incorporating various articles on Preventive Vigilance etc. were implemented.

During the year 2017-18, the Bank observed Vigilance Awareness Week with the central theme "My vision – Corruption Free India" from 30.10.2017 to 04.11.2017 in true spirit. During the programme Vigilance News Letter " DOs & DONTs " was also released. Besides, different programmes were also organized at the Bank level across the country at Gram Sabhas / schools and colleges which were attended by over one lakh participants. Various activities were performed during Vigilance Awareness Week including -Debates, Elocution, Quiz programmes, Rallies, Seminars / Workshops, Walkathons, Cyclothons, Road shows, Awareness through Mobile Vans, health camps, Distribution of Pamphlets/Banners, Issue of Journal/ Newsletter, Slogan Competition, Essay Writing Competition etc. These programmes were graced by eminent personalities of the society. The staff members / customers of the Bank/ general public were encouraged to have E-Pledge through URL provided on Bank's web site, which resulted in participation of more than 15000 people and availed E-Pledge facility across the nation.

On recommendations of Vigilance Department, Bank has decided to nominate two nodal officers for each zone who will regularly monitor transactions in Nominal heads, Dormant accounts, Inoperative Accounts at Branch level, as Preventive vigilance measure.

PUNITIVE VIGILANCE

As in vogue, this year also special thrust was given to reduce the pendency of disciplinary action cases, with the active involvement of all the Disciplinary Authorities (DAs) / Controllers and with proper coordination with the Hon'ble CVC / other Govt. Agencies, which is evident from the following details:

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Vigilance (RDA) Cases pending	70	58	49	54*
Pending CVC referred Complaints	01	00	00	00
Charge Sheet issued	63	56	53	62
No. of officials in the ODI List	120	98	81	75

*Out of these 54 cases, 2nd stage advices have been conveyed in 5 cases to the respective Disciplinary Authorities before 31.03.2018 and the same shall be disposed off shortly after following the due process.

सुरक्षा: बैंक की संस्थागत संरचना के अंतर्गत बैंक का एक सुस्थापित सुरक्षा कवच है। प्र.का. सुरक्षा विभाग सभी मुद्रा पेटिकाओं और शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है तथा तदनुसार सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत बना रहा है ताकि प्रभावी, नई एवं अभेद्य सुरक्षा प्रणाली द्वारा वर्तमान सुरक्षा की चुनौतियों से निपटा जा सके। भारि. बैंक/भारतीय बैंक संघ के दिशा-निर्देशों के अनुसार लगभग सभी शाखाओं में सभी आवश्यक एवं अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है।

आंचलिक सुरक्षा अधिकारी प्रचलन में सुरक्षा व्यवस्थाओं का आंकलन करने के लिए शाखाओं का आवधिक सुरक्षा परीक्षण करते हैं और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अतिरिक्त निरोधात्मक सुरक्षा उपायों को लागू करने की अनुशंसा करते हैं। वे प्रशासनिक और कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों के साथ नजदीकी संबंध बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा प्रधान कार्यालय के अन्य अधिकारीगण भी मुद्रा पेटिकाओं का सुरक्षा परीक्षण कर रहे हैं और बैंक की अति संवेदनशील शाखाओं के औचक दौरे भी कर रहे हैं।

भारि. बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक की सभी मुद्रा पेटिकाओं में अधिगम (Access) नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया गया है। मुद्रा पेटिका के स्ट्रांग कक्ष तक पहुँच (ऐक्सेस) को नियंत्रित करने हेतु एक उचित प्रणाली तथा पेटिका के वाल्ट कक्ष में प्रवेश/निकास संबंधी प्रविष्टि के उचित अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा है।

सभी शाखाओं और मुद्रा पेटिकाओं में सुरक्षा अलार्म प्रणाली स्थापित है। अधिकांश शाखाओं में भारि. बैंक के विनिर्दिष्टों के अनुरूप स्ट्रांग कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं।

बैंक की कुल 12 (बारह) मुद्रा पेटिकाएँ हैं और सभी को राज्य के पुलिस गार्डों द्वारा अभिरक्षा प्रदान की जा रही है। बैंक की सभी शाखाओं में सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। सभी नकदी का विप्रेषण सशस्त्र गार्डों की अभिरक्षा में होता है।

सभी सुरक्षा अधिकारियों को वर्ष में एक बार सुरक्षा पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

खतरे की चेतावनी, नकदी की मात्रा, मूल्यवान वस्तुओं और निरंतर नगरानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सभी मुद्रा पेटिकाओं, शाखाओं और ए.टी.एम. में सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

भारतीय लेखा मानकों को लागू करना:

भारि. बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.76/21.07.001/2015-16 जारी किया है जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को 01 अप्रैल, 2018 से आरम्भ हो रही लेखा अवधि से आगे, समाप्त हो रही अवधियों की तुलना में या 31 मार्च, 2018 के पश्चात। इंड ए.एस. स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणियों तथा समेकित वित्तीय विवरणियों पर लागू होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 05 अप्रैल, 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 की अपनी प्रथम मौद्रिक नीति के कथन में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) हेतु एक वर्ष के लिए अस्थगित कर दिया है ताकि 01 अप्रैल, 2019 से इंड ए.एस. को लागू किया जा सके, 01 अप्रैल, 2018 से आरम्भ हो रहे वर्ष की तुलना के साथ।

वर्तमान में बैंक अपनी प्रक्रिया एवं प्रणाली में किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान करने की प्रक्रिया में है और तकनीकी हल तलाश रहा है।

आगे, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने 30 सितंबर, 2016 को समाप्त अर्द्ध-वार्षिकी तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 की 30 जून, 2017 की तिमाही संबंधित स्टैंडएलोन प्रारूप इंड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के साथ अन्य अभिकलनों को भारि. बैंक को प्रेषित कर दिया है।

राजभाषा कार्यान्वयन: वर्ष 2017-18 राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से उपलब्धियों भरा वर्ष रहा। इस वर्ष हमारे बैंक को क क्षेत्र के लिए राजभाषा का सर्वोच्च पुरस्कार कीर्ति शिल्ड (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदरबीर सिंह (आईएएस) ने माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री राम कोविंद जी के कर कमलों से 14.09.2017 को विज्ञान भवन में भव्य आयोजन में प्राप्त किया। इसके साथ ही बैंक की हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' को दिल्ली के सभी बैंकों के लिए बनाई गई समिति (दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। दिल्ली बैंक नराकास द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न अंतरबैंक प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक को कुल 16 पुरस्कार प्राप्त हुए जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिंदी में बेहतर काम करने के लिए बैंक को लुधियाना, दिल्ली, बरेली, भोपाल, पटियाला, चंडीगढ़, गाँधी नगर तथा दुर्ग(भिलाई) छत्तीसगढ़ में भी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा शील्डें प्रदान की गईं।

SECURITY: The Bank has a well established Security set-up within the Bank's organizational structure. The H.O. Security department has been regularly reviewing the security arrangements at all Currency Chests and branches and accordingly strengthening the security arrangements to meet prevailing security scenario with effective, modern and unobstructed Security Systems. All the essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/ IBA guidelines are provided at almost all branches.

The Zonal Security Officers periodically carry-out Security audit of branches to assess the security arrangements in vogue and recommend implementation of additional preventive security measures wherever desired. They maintain close liaison with the law enforcing and administrative authorities. Besides, the Chief Security Officer and other officials from Head Office are also carrying out the security audit of the Currency Chests and also undertake random visits of the vulnerable branches of the Bank.

The Access Control System at all Currency Chests of the Bank has been strengthened in terms of RBI guidelines. A proper system of regulating access to Currency Chest Strong Rooms and proper records of entry into / exit from the Vault Room of the chest is being maintained.

Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests. Strong Room conforming to RBI specification are provided at majority of branches.

The Bank has a total of 12 (twelve) currency chests and all of them are being guarded by the State Police guards. All the branches of the Bank are provided with armed guards. All cash remittances are escorted by armed guards.

All the Security Officers undergo refresher training on security, once in a year.

Keeping in view the threat perception, volume of cash and valuables handled and need for continuous surveillance, CCTV Surveillance System have been installed at all the Currency chests, Branches & ATMS.

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

The Reserve Bank of India issued a circular DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 on February 11, 2016, requiring scheduled commercial banks to comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for periods ending on or after March 31, 2018. Ind AS would be applicable to both Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements.

RBI, on April 5, 2018, through its first monetary policy statement for FY2018-19, deferred Ind AS implementation for the scheduled commercial banks (excluding RRBs) by one year such that the implementation of Ind AS would begin from April 1, 2019 onwards, with comparatives for the year beginning April 1, 2018.

The Bank is currently in the process of identifying the changes required to be made to its systems and processes and is evaluating technology solutions.

Further, as per Reserve Bank of India (RBI) directions, the Bank submitted Standalone *proforma* Ind AS financial statements along with other computations to the RBI for the half-year ended September 30, 2016 and for the quarter ended June 30, 2017 in FY 2017-18, as required.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE: The year 2017-18 was a year of achievements in view of implementation of official language. This year, our bank received the highest award Kirti Shield (first prize) for implementation of official language in A region. On 14.09.2017 at Vigyan Bhawan in the grand ceremony our bank's Chairman and Managing Director, Mr. Jatinderbir Singh (IAS) received the award from Hon'ble President Shri Ram Kovind ji. Simultaneously, the bank's Hindi magazine 'Rajbhasha Ankur' was awarded second prize by the committee formed for all the banks of Delhi (Delhi Bank Nagar Official Language Implementation Committee) and also received an incentive award for the implementation of official language at Head office. During the year, our bank received a total no. of 16 awards in different interbank competitions organized by different banks under Delhi Bank Nagar Official Language Implementation Committee, is a record. Besides this, Bank was also awarded Rajbhasha Shields in Ludhiana, Delhi, Bareilly, Bhopal, Patiala, Chandigarh, Gandhi Nagar and Durg (Bhilai) Chhattisgarh by respective Town Official Language Implementation Committees for better Implementation of Official Language in banking sector.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार-प्रसार में आशातीत प्रगति की गई। हिंदी को अनुवाद के कटघरे से बाहर निकालकर राजभाषा कार्यान्वयन को परियोजना कार्यान्वयन के सिद्धांतों के आधार पर प्रचलित और प्रसारित किया गया। कुल 85 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 1496 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 603 शाखाओं में आयोजित डैस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 2793 कार्मिकों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर पर यूनिकोड प्रशिक्षण भी दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 691 शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण किए गए।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की विशेष उपलब्धि यह भी रही है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 'राजभाषा अंकुर' पत्रिका के रचनाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में आशातीत वृद्धि की गई है। वर्ष 2017-18 में प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता स्टाफ-सदस्यों को आकर्षक नकद पुरस्कार दिए गए। उसी प्रकार यह नकद पुरस्कार ऑचलिक कार्यालय स्तर पर भी आरंभ किए जाने प्रस्तावित है।

सामान्य प्रशासन:

अप्रैल, 2017 में कार्यालय भवन का रंजीत नगर में निर्माण पूर्ण हो चुका है और अभी तक शाखा कार्यालय, रंजीत नगर और आर.सी.सी., दिल्ली परिसर में स्थान्तरित हो चुके हैं और बैंक हाउस भवन का नवीकरण कार्य (बेसमेंट को छोड़ कर) जुलाई, 2017 में पूर्ण हो चुका है। प्रधान कार्यालय के बेसमेंट के नवीकरण और बाहरी सौन्दर्य हेतु निविदा जारी की जा चुकी है और नवीकरण/बाह्य सौन्दर्य का कार्य प्रगति पर है।

निदेशक मंडल का गठन

31 मार्च, 2018 के अनुसार, निदेशक मंडल में दो कार्यकारी निदेशकों के अतिरिक्त सात अन्य निदेशकों जिसमें वित्त-मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों, दो शेरधारक निदेशकों तथा एक अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक जो सनदी लेखाकार वर्ग से तथा दो अन्य अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के बोर्ड निदेशकों के नियोजन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

समावेशन

- श्री गोविन्द एन डोंग्रे को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 09.10.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.न. 4/5/(2) 2017-बीओ-1 के माध्यम से नियुक्त किया गया।
- श्री एस. सेल्वाकुमार को बैंक का वित्त मंत्रालय नामित निदेशक के रूप में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 17.08.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.न. 6/3/2012-बीओ-1 के माध्यम से नामित किया गया।
- श्री एस.आर. घेडीया को बैंक का अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, सनदी लेखाकार वर्ग के रूप में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 27.12.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.न. 6/1/2015-बीओ-1 के माध्यम से नामित किया गया।
- श्री मधु सूदन दादू को बैंक का अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 27.12.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.न. 6/1/2015-बीओ-1 के माध्यम से नामित किया गया।
- दिनांक 01.07.2017 को श्री हर्ष बीर सिंह को शेरधारकों के मध्य से शेरधारक निदेशक चुना गया।
- दिनांक 01.07.2017 को श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता को शेरधारकों के मध्य से शेरधारक निदेशक चुना गया।

सेवा समाप्ति

- श्री जतिन्दर बीर सिंह ने दिनांक 31.12.2017 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया अर्थात् महीने का अंतिम दिन जिस दिन उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की।
- श्री मुकेश कुमार जैन, बैंक के कार्यकारी निदेशक को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या एफ.न. 4/4/2016-बीओ/1(Vol-II) के माध्यम से ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. नियुक्त किया।
- श्री एस.आर. मेहर, वित्त मंत्रालय नामित निदेशक ने दिनांक 17.08.2017 तक निदेशक मंडल में रहे।
- श्री एम.एस. सारंग ने दिनांक 30.06.2017 को शेरधारक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री एस.पी. बबूता ने दिनांक 30.06.2017 को शेरधारक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

During the financial year 2017-18, Bank made significant progress in implementation of official language Policy of Govt. of India for promoting and propagating the use of Official Language in the Bank. The implementation of official language was prevalent and extended on the basis of the principles of project implementation by taking out Hindi from the balustrade of translation. A total of 85 workshops were organized, in which 1496 staff members were trained. Besides this, in 603 Hindi Desk Training Programmes, 2793 staff members were imparted training for using official language and Unicode training on Computers. With the aim of reviewing the progress of Official Language, inspections were conducted in 691 Branches / offices.

The special achievement of financial year 2017-18 is that from the financial year 2018-19, the honorarium amount given to the writers for writing in Rajbhasha Ankur Magazine has been enhanced as per experience. In the year 2017-18, at Head office level, attractive cash prizes were also given to the winners participated in different competitions for initiating implementation of official language. Similarly, this system is proposed to be started at the Zonal office level also.

GENERAL ADMINISTRATION:

Construction of Office Building at Ranjit Nagar was completed by **April'2017** and as on date B/O Ranjit Nagar & RCC, Delhi has shifted to the premises and renovation of Bank House Building (except basement) was completed by **July'2017**. The tender for the renovation of Basement and External beautification of the HO Building was floated and renovation/ External beautification work is in process

CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

As on 31st March 2018, the Board comprised of two Executive Directors besides seven other Directors including representatives from Ministry of Finance, Reserve Bank of India, two Share Holder Directors and one Part Time Non Official Director under CA category and two other Part Time Non Official Directors.

The constitution of Bank's Board of Directors underwent following changes during the year 2017-18:

INCLUSIONS

- Sh. Govind N Dongre was appointed as Executive Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 4/5(2)/2017-BO.I dated 09.10.2017.
- Sh. S Selvakumar was nominated as MOF Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/3/2012-BO.I dated 17.08.2017.
- Sh. S R Ghedia was nominated as Non Official Part Time Director under CA category vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/1/2015-BO.I dated 27.12.2017
- Sh. Madhu Sudan Dadu was nominated as Non Official Part Time Director vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/1/2015-BO.I dated 27.12.2017
- Sh. Harsh bir Singh was elected as Director from amongst the Shareholders of Punjab and Sind Bank on 01.07.2017
- Sh. T R Mendiratta was elected as Director from amongst the Shareholders of Punjab and Sind Bank on 01.07.2017

CESSATIONS

- Sh. Jatinderbir Singh completed his term as Chairman and Managing Director of the Bank on 31.12.2017 i.e. the last day of the month in which he attained the age of superannuation.
- Sh. Mukesh Kumar Jain, Executive Director of the Bank was appointed as Managing Director & CEO, Oriental Bank of Commerce vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F. No. 4/4/2016-BO/I(Vol.II)
- Sh. S R Mehar, MOF Nominee Director was on the Board of the Bank upto 17.08.2017
- Sh. M S Sarang completed his term as Shareholder Director on 30.06.2017.
- Sh. S P Babuta completed his term as Shareholder Director on 30.06.2017.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

बैंक अच्छे निगमित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसे और अधिक मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि संगठन में सभी स्तर पर और अधिक पारदर्शिता व बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। बैंक की कार्य-प्रणाली बैंक के पारदर्शी स्वामित्व संरचनाएं, जोखिम प्रबंधन कार्य-प्रणाली में सुधार, सुनियोजित तरीके से शक्तियों को सौंपना, जवाबदेही तथा निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा प्रभाग तथा स्वतन्त्र सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए विस्तृत लेखा कार्यों को दर्शाती है।

बैंक निगमित प्रशासन से संबंधित मामले में सेबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करता है जिसकी जांच केन्द्रीय सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाती है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व की विवरणी

निदेशकों ने पुष्टि की है कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करने में –

- लागू लेखा-मानकों के साथ-साथ मानक सामग्री से सम्बन्धित उचित व्याख्या, यदि कोई है, का पालन किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई गई लेखांकन नीतियों को नियमित रूप से लागू किया गया है।
- वित्तीय-वर्ष के अंत में तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ हेतु बैंक के कार्यकलापों का वास्तविक तथा उचित विवरण प्रस्तुत करने हेतु यथोचित निर्णय तथा पूर्वानुमान लगाए गए हैं।
- भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों के उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण के लिए उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया है तथा खातों को अविरल प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षण: जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है, बैंक ने समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2018 के लेखांकन वर्ष हेतु मैसर्स धवन एण्ड कम्पनी, नई दिल्लीय मैसर्स दविंदर पाल सिंह एण्ड कम्पनी, मोहाली, मैसर्स एस. मान एण्ड कंपनी, नई दिल्ली तथा मैसर्स बलदेव कुमार एण्ड कंपनी, चण्डीगढ़ को केन्द्रीय सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया है।

अभिस्वीकृतियां:

बैंक का निदेशक मण्डल मूल्यवान ग्राहकों, शेयर धारकों, शुभचिंतकों और बैंक के भारत तथा विदेशों में उनके संवाददाताओं के संरक्षण, सदभावना एवं समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

निदेशक मण्डल बैंक के कामकाज के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और समय पर सलाह, मार्गदर्शन तथा सहयोग को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है।

निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर बैंक की प्रगति हेतु स्टाफ-सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए भरपूर सराहना करता है तथा आशा करता है कि आने वाले वर्षों में बैंक को निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका सतत् सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

कृते निदेशक मण्डल की ओर से

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 16 मई, 2018

फरीद अहमद

कार्यकारी निदेशक

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank is committed to good Corporate Governance and is constantly striving to further strengthen the same to ensure greater transparency and better coordination at all levels in the Organization. The working of the Bank reflects transparent ownership structure, improved risk management practices, well defined delegation of powers, accountability and an elaborate audit function carried out by both its Inspection & Audit Division and by independent Statutory Central Auditors.

The Bank has complied with the guidelines of RBI and SEBI on the matters relating to Corporate Governance which have been examined by the Statutory Central Auditors.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENTS

The Directors confirm that in preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2018:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the bank for the year ended on 31st March, 2018.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws Governing Banks in India and the accounts have been prepared on a going concern basis.

STAUTORY AUDIT : As approved by Reserve Bank of India, the Bank has appointed M/s Dhawan & Co., New Delhi and M/s Davinder Pal Singh & Co., Mohali, M/s S Mann & Co, New Delhi and M/s Baldev Kumar & Co Chandigarh as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2018.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors of the Bank thanks valued customers, shareholders, well-wishers and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and continued support.

The Directors also acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges of various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank in the functioning of the Bank.

The Directors place on record their deep appreciation for the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the progress of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in realization of the corporate goals in years ahead.

For and on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 16 May, 2018

Fareed Ahmed
Executive Director

कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट (2017-18)

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक - दर्शन

बैंक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करने के साथ शेयर-धारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक कड़ी कंपनी प्रबंधन पद्धतियों को निष्पादित करते हुए, उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली को अपनाने के लिए वचनबद्ध है। बैंक अपने सभी साझेदारों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत कंपनी निकाय है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन) अधिनियम 2015 का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंककारी कंपनी उपक्रमों का (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2018 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या अर्थात् बैंक के अतिरिक्त	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उपसमितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक में नियुक्ति का स्वरूप)
1.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	शून्य	13	शून्य	शून्य	*
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे	कार्यकारी निदेशक	शून्य	12	शून्य	शून्य	**
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार	निदेशक – वित्त मंत्रालय द्वारा नामित	शून्य	10	शून्य	शून्य	***
4.	श्री पी.के. जेना	निदेशक— भा.रि.बैं. द्वारा नामित	शून्य	4	शून्य	शून्य	@
5.	श्री एस.आर. घेडीया	गैर-आधिकारिक श्रेणी – सनदी लेखाकार श्रेणी	शून्य	5	शून्य	शून्य	@@
6.	श्री अतनु सेन	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	6	5	1	#
7.	श्री मधु सूदन दादू	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	5	2	2	##
8.	श्री हर्षबीर सिंह	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	1057	5	शून्य	शून्य	\$
9.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	100	6	शून्य	शून्य	\$\$

* वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2017 की सं. एफ.नं.4/5(6)/2016-बीओ-1 की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष की अवधि हेतु पदग्रहण करने की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (2017-18)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE :

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore the Bank shall comply with the provisions of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2018 is as under:

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2018	No. of membership in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank)
1.	Sh. Fareed Ahmed	Executive Director	NIL	13	NIL	NIL	*
2.	Sh. Govind N Dongre	Executive Director	NIL	12	NIL	NIL	**
3.	Sh. S Selva Kumar	Director – MOF Nominee	NIL	10	NIL	NIL	***
4.	Sh. P K Jena	Director – RBI Nominee	NIL	4	NIL	NIL	@
5.	Sh. S R Ghedia	Non Official Category - CA Category	NIL	5	NIL	NIL	@@
6.	Sh. Atanu Sen	Non-Official Director	NIL	6	5	1	#
7.	Sh. Madhu Sudan Dadu	Non-Official Director	NIL	5	2	2	##
8.	Sh. Harsh Bir Singh	Non-Official Director (Shareholder Director)	1057	5	NIL	NIL	\$
9.	Sh. T R Mendiratta	Non-Official Director (Shareholder Director)	100	6	NIL	NIL	\$\$

* Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5(6)/2016-BO.I dated 16th February 2017 as Executive Director for a period of three years from the date of his taking over charge of the post , or until further orders, whichever is earlier.

- ** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 की सं. एफ.नं. 4/5/(2)/2017-बीओ-1 की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त 31.03.2020 तक पद के प्रभारी होने की तारीख अर्थात् उनके सेवा निवृत्त होने की तारीख अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।
- *** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2017 की सं. एफ.नं. 6/3/2012-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- @ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 मई, 2013 की सं. एफ.नं. 6/34/2013-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- @@ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 दिसंबर, 2017 की सं. एफ.नं. 6/1/2015-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (जी) के तहत उनकी नियुक्ति की सूचना की तिथि से 3 वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक नियुक्त।
- # वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28 जनवरी, 2016 की सं. एफ.नं. 6/24/2015-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3-ए) के तहत उनकी नियुक्ति की सूचना की तिथि से 3 वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक इनमें जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त।
- ## वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 दिसंबर, 2017 की सं. एफ.नं. 6/1/2015-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के तहत उनकी नियुक्ति की सूचना की तिथि से 3 वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक इनमें जो भी पहले हो, गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक नियुक्त।
- \$ शेयरधारकों के मध्य से, केंद्र सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2017 से निदेशक नियुक्त।
- \$\$ शेयरधारकों के मध्य से, केंद्र सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2017 से निदेशक नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/कार्य-समाप्ति

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए :

(क) नियुक्ति -

- श्री गोविंद एन डोंगरे को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 09.10.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.नं. 4/5(2)/2017-बी.ओ.-1 द्वारा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री एस सेल्वाकुमार को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 17.08.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.नं.6/3/2012-बी.ओ.-1 द्वारा बैंक के नामांकित निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- श्री एस.आर. घेडीया को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 27.12.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.नं.6/1/2015-बी.ओ.-1 द्वारा सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- श्री मधु सूदन दादू को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 27.12.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.नं.6/1/2015-बी.ओ.-1 द्वारा गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- श्री हर्ष बीर सिंह को पंजाब और सिंध बैंक के शेयरधारकों में से दिनांक 01.07.2017 को निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया।
- श्री टी.आर. मेंदीरत्ता को पंजाब और सिंध बैंक के शेयरधारकों में से दिनांक 01.07.2017 को निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया।

- ** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5/(2)/2017-BO.I dated 9th October 2017 as Executive Director w.e.f. the date of his taking over charge of the post upto 31.03.2020 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.
- *** Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 17th August 2017 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- @ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/34/2013-BO-I dated 31st May 2013 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- @@ Appointed as non official Part Time Director under Chartered Accountant category in terms of GOI MOF letter No. F. No. 6/1/2015- BO.I dated 27th December, 2017 under clause (g) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- # Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/24/2015-BO-I dated 28th January 2016 under sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- ## Appointed as non official Part Time Director in terms of GOI MOF letter No. F. No. 6/1/2015- BO.I dated 27th December, 2017 under clause (h) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- \$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2017.
- \$\$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2017.

2.2 Appointment / Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2017-2018:

[A] Appointment:

- Sh. Govind N Dongre was appointed as Executive Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 4/5(2)/2017-BO.I dated 09.10.2017.
- Sh. S Selvakumar was nominated as MOF Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/3/2012-BO.I dated 17.08.2017.
- Sh. S R Ghedia was nominated as Non Official Part Time Director under CA category vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/1/2015-BO.I dated 27.12.2017
- Sh. Madhu Sudan Dadu was nominated as Non Official Part Time Director vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/1/2015-BO.I dated 27.12.2017
- Sh. Harsh bir Singh was elected as Director from amongst the Shareholders of Punjab and Sind Bank on 01.07.2017
- Sh. T R Mendiratta was elected as Director from amongst the Shareholders of Punjab and Sind Bank on 01.07.2017

(ख) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशक

- श्री जतिंदरबीर सिंह ने बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में दिनांक 31.12.2017 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया अर्थात् महीने के अंतिम दिन जब उन्होंने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त की।
- बैंक के कार्यकारी निदेशक, श्री मुकेश कुमार जैन को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 14.07.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.नं. 4/4/2016-बी.ओ./I(Vol-II) द्वारा ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्हें दिनांक 15 जुलाई, 2017 पूर्वाह्न बैंक से कार्यमुक्त कर दिया गया।
- श्री एस आर मेहर बैंक के बोर्ड में दिनांक 17.08.2017 तक वित्त मंत्रालय द्वारा नामांकित निदेशक रहे।
- श्री एम एस सारंग ने शेरधारक निदेशक के रूप में दिनांक 30.06.2017 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री एस पी बबूता ने शेरधारक निदेशक के रूप में दिनांक 30.06.2017 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

2.3 वर्ष 2017-18 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय:

श्री गोविंद एन डोंगरे

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री गोविंद एन डोंग्रे
2.	पिता का नाम	श्री नारायण जी डोंग्रे
3.	जन्म तिथि एवं आयु	26/03/1960 तथा 58 वर्ष
4.	वर्तमान पता	ई.डी. कार्यालय, बैंक हाउस, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली
5.	ई-मेल पता	govindndongre@psb.co.in
6.	शैक्षिक योग्यता	एमएससी (हॉर्टिकल्चर), सीएआईआईबी
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक
8.	अनुभव	भूतपूर्व महाप्रबंधक, विजया बैंक
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	-----

श्री एस सेल्वाकुमार

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री एस. सेल्वा कुमार
2.	पिता का नाम	श्री सीरंगनारयण
3.	जन्म तिथि एवं आयु	10/07/1968 तथा 49 वर्ष
4.	वर्तमान पता	आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली
5.	ई-मेल पता	js&abc@nic.in
6.	शैक्षिक योग्यता	एमआईआई, एलएलबी, एमए, अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्त मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक
8.	अनुभव	लोक प्रशासन
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	-----

[B] Outgoing Directors during the year:

- Sh. Jatinderbir Singh completed his term as Chairman and Managing Director of the Bank on 31.12.2017 i.e. the last day of the month in which he attained the age of superannuation.
- Sh. Mukesh Kumar Jain, Executive Director of the Bank was appointed as Managing Director & CEO, Oriental Bank of Commerce vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F. No. 4/4/2016-BO/I(Vol.II) dated 14.07.2017 and was relieved from Bank on forenoon of 15th July, 2017
- Sh. S R Mehar, MOF Nominee Director was on the Board of the Bank upto 17.08.2017
- Sh. M S Sarang completed his term as Shareholder Director on 30.06.2017.
- Sh. S P Babuta completed his term as Shareholder Director on 30.06.2017.

2.3 Profile of Director appointed during 2017-18:**Sh. GOVIND N DONGRE**

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. GOVIND N DONGRE
2.	FATHER'S NAME	Sh. NARAYANA G DONGRE
3.	DATE OF BIRTH & AGE	26.03.1960 & 58 Years
4.	PRESENT ADDRESS	ED Office, Bank House, 21 Rajendra place, New Delhi
5.	EMAIL ADDRESS	govindndongre@psb.co.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M. Sc. (Horticulture), CAIIB
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	Ex. GM Vijaya Bank
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-----

Sh. S SELVAKUMAR

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. S. SELVA KUMAR
2.	FATHER'S NAME	Sh. SEERANGARAYAN
3.	DATE OF BIRTH & AGE	10/07/1968 & 49 Years
4.	PRESENT ADDRESS	Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi
5.	EMAIL ADDRESS	js-abc@nic.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	AMIE, LLB, MA, POST GRAGUATE COURSE IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT POLICY
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	MOF NOMINEE DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	PUBLIC ADMINISTRATION
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-----

श्री एस.आर. घेडीया

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री शैलेश आर घेडीया
2.	पिता का नाम	श्री रामजी एन घेडीया
3.	जन्म तिथि एवं आयु	25/04/1957 तथा 60 वर्ष
4.	वर्तमान पता	बी/202, लैब आशीष, पुरानी पुलिस क्यूट्रस लैन, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400069
5.	ई-मेल पता	ghediasr@hotmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	बी.कॉम, एफ.सी.ए.
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
8.	अनुभव	34 वर्ष (व्यावसायिक सनदी लेखाकार)
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	-----

श्री मधु सूदन दादू

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री मधु सूदन दादू
2.	पिता का नाम	श्री ओम प्रकाश दादू
3.	जन्म तिथि एवं आयु	05/06/1963 तथा 54 वर्ष
4.	वर्तमान पता	ए-21, सैक्टर 27, नोएडा-201301
5.	ई-मेल पता	msdadu@apsom.com
6.	शैक्षिक योग्यता	बीई (ऑनर्स), एमएससी (ऑनर्स)
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
8.	अनुभव	32 वर्ष, उद्भयमवृत्ति
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	कन्वर्जेंस मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एप्सम इंफोटेक्स लिमिटेड

श्री हर्ष बीर सिंह

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री हर्ष बीर सिंह
2.	पिता का नाम	श्री करतार सिंह
3.	जन्म तिथि एवं आयु	30/07/1954 तथा 63 वर्ष
4.	वर्तमान पता	1625, फेज-V, मोहाली - 160059
5.	ई-मेल पता	harsh_bir@hotmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	एमएससी (ऑनर्स), एमएससी (सू.प्रौ.), एमबीए, एमसीए, एलएलबी, सीएआईआईबी
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	शेयरधारक निदेशक
8.	अनुभव	भूतपूर्व महाप्रबंधक पंजाब एण्ड सिंध बैंक
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	-----

Sh. S R GHEDIA

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. SHAILESH R GHEDIA
2.	FATHER'S NAME	Sh. RAMAJI N GHEDIA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	25.04.1957 & 60 Years
4.	PRESENT ADDRESS	B/202, LABH ASHISH, OLD POLICE QTRAS LANE, ANDHERI (E) MUMBAI -400069
5.	EMAIL ADDRESS	ghediasr@hotmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	B. COM , F.C.A.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	PART TIME NON OFFICIAL DIRECTOR UNDER CA CATEGORY
8.	EXPERIENCE	34 YEARS (PRACTICING CA)
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-----

Sh. MADHU SUDAN DADU

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. MADHU SUDAN DADU
2.	FATHER'S NAME	Sh. OM PRAKASH DADU
3.	DATE OF BIRTH & AGE	05.06.1963 & 54 Years
4.	PRESENT ADDRESS	A-21 SECTOR 27 NOIDA, 201301
5.	EMAIL ADDRESS	msdadu@apsom.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	BE (Hons), M.Sc. (Hons)
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	PART TIME NON OFFICIAL DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	32 YEARS, ENTREPRENEURSHIP
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	CONVERGENCE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES PVT. LTD., APSOM INFOTEX LTD

Sh. HARSH BIR SINGH

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. HARSH BIR SINGH
2.	FATHER'S NAME	Sh. KARTAR SINGH
3.	DATE OF BIRTH & AGE	30.07.1954 & 63 Years
4.	PRESENT ADDRESS	1625, PHASE V, MOHALI 160059
5.	EMAIL ADDRESS	harsh_bir@hotmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	MSc (Hons), MSc (IT), MBA, MCA, LLB, CAIIB
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	SHAREHOLDERS DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	Ex. GM PUNJAB & SIND BANK
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	----

श्री टी.आर. मेंदीरत्ता

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री तीरथ राज मेंदीरत्ता
2.	पिता का नाम	श्री घनश्याम दास मेंदीरत्ता
3.	जन्म तिथि एवं आयु	29 / 11 / 1959 तथा 58 वर्ष
4.	वर्तमान पता	बी-1, जीवन ज्योत, सीतलवाड़ लेन, नैपेन्सिया रोड, मुम्बई-400036
5.	ई-मेल पता	t.mendiratta@licindia.com
6.	शैक्षिक योग्यता	बी.कॉम
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	शेयरधारक निदेशक
8.	अनुभव	भारतीय जीवन बीमा निगम में 30 साल से अधिक का अनुभव
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	-----

2.4 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड की निम्न तिथियों पर कुल 08 बैठकें हुईं जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 में निर्धारित खण्ड 12 की न्यूनतम 06 बैठकों के विरुद्ध हैं।

16.05.2017	29.06.2017	09.08.2017	27.09.2017	14.11.2017
26.12.2017	09.01.2018	13.02.2018		

उपर्युक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न है जो उनके कार्यकाल से संबंधित है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की	दिनांक 29.06.2017 की ए.जी.एम. में उपस्थिति
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	6	6	उपस्थित
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	2	2	उपस्थित
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	8	8	उपस्थित
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	4	4	---
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	3	3	अनुपस्थित
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	17.08.2017 से 31.03.2018	5	5	---
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	8	7	अनुपस्थित
श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी)	27.12.2017 से 31.03.2018	2	2	---
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	8	8	उपस्थित
श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक	27.12.2017 से 31.03.2018	2	2	---
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	2	2	उपस्थित
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	2	2	उपस्थित
श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	01.07.2017 से 31.03.2018	6	6	---
श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.07.2017 से 31.03.2018	6	5	---

Sh. T R MENDIRATTA

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. TIRATH RAJ MENDIRATTA
2.	FATHER'S NAME	Sh. GHANSHYAM DAS MENDIRATTA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	29.11.1959 & 58 Years
4.	PRESENT ADDRESS	B-1, JEEVAN JYOT, SETALVAD LANE, NAPEANSEA ROAD, MUMBAI, 400036
5.	EMAIL ADDRESS	t.mendiratta@licindia.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	B.Com
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	SHAREHOLDERS DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	OVER 30 YEARS EXPERIENCE IN LIC OF INDIA
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	----

2.4 BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2017-18, total 8 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

16.05.2017	29.06.2017	09.08.2017	27.09.2017	14.11.2017
26.12.2017	09.01.2018	13.02.2018		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance of AGM held on 29.06.2017
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	6	6	Attended
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	2	2	Attended
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	8	8	Attended
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	4	4	--
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	3	3	Not Present
Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	17.08.2017 to 31.03.2018	5	5	--
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2017 to 31.03.2018	8	7	Not Present
Sh. S R Ghedia- Non Official Director (CA Category)	27.12.2017 to 31.03.2018	2	2	--
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2017 to 31.03.2018	8	8	Attended
Sh. M S Dadu -- Non Official Director	27.12.2017 to 31.03.2018	2	2	--
Sh. S P Babuta – Shareholders Director	01.04.2017 to 30.06.2017	2	2	Attended
Sh. M S Sarang - Shareholders Director	01.04.2017 to 30.06.2017	2	2	Attended
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholders Director	01.07.2017 to 31.03.2018	6	6	--
Sh. T R Mendiratta – Shareholders Director	01.07.2017 to 31.03.2018	6	5	--

2.5 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक रैंक नीचे जिनमें सभी महाप्रबंधक सम्मिलित हैं, हेतु सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 17(5) की अनुपालना में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. सामान्य वार्षिक बैठक:

शेयरधारकों की आयोजित की गई अंतिम तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है :

स्वरूप	दिन तथा दिनांक	समय	स्थल
ए.जी.एम.	सोमवार 29.06.2015	प्रातः 9.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003
ए.जी.एम.	मंगलवार 28.06.2016	प्रातः 10.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मूलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003
ए.जी.एम.	गुरुवार 29.06.2017	प्रातः 10.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003

कोई भी विशेष प्रस्ताव विगत तीन ए.जी.एम. में स्वीकृत नहीं किया गया।

4. निदेशकों की समिति :

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड कमेटी की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग ने मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के परिचालन, निष्पादन विकास पर विचार-विमर्श के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, उत्पादन के कार्य निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। निदेशक मंडल की महत्वपूर्ण समितियां निम्न प्रकार हैं :

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	बोर्ड की सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	शेयरधारक/हितधारक संबंध समिति
8.	मानव संसाधन समिति
9.	सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति
10.	कार्यपालकों की पदोन्नति पर बोर्ड की समिति
11.	अपील और समीक्षा के मामलों से निपटने के लिए समिति
12.	वसूली की निगरानी हेतु समिति
13.	शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान
14.	इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति
15.	नामांकन समिति

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Regulation 17(5) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. Annual General Meeting :

Details of last three Annual General Meetings of the shareholders held are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Monday 29.06.2015	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Tuesday 28.06.2016	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Thursday 29.06.2017	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003

No Special Resolution was passed in the previous three AGMs.

4. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

SNo	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee of the Board
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Stakeholders Relationship Committee
8.	HR Committee
9.	I T Strategy Committee
10.	Committee of the Board on Executives' Promotions
11.	Committee for dealing with the case of appeals and review
12.	Committee for Monitoring of Recovery
13.	Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank
14.	Review Committee for Willful Defaulter
15.	Nomination Committee

4.1. बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड-13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और धारा 9(3)(सी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना इस प्रकार है—

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक
4.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक
5.	श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 11 बैठकों का आयोजन हुआ :

16.05.2017	15.06.2017	29.06.2017	24.07.2017	07.09.2017
27.09.2017	14.11.2017	05.12.2017	26.12.2017	09.01.2018
02.02.2018	13.02.2018	09.03.2018		

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	9	9
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	3	3
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	13	13
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	7	7
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	13	11
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	30.01.2017 से 29.07.2017 18.01.2018 से 31.03.2018	7	7
श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक	18.01.2018 से 31.03.2018	3	3
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	3	3
श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	21.07.2017 से 20.01.2018	7	7
श्री टी.आर. मेंदीरता – शेयरधारक निदेशक	30.07.2017 से 29.01.2018	6	5

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Chairman and Managing Director , Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the Management Committee as on 31st March 2018 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Sh. Govind N Dongre – Executive Director
3.	Sh. P K Jena – RBI Nominee Director
4.	Sh. Atanu Sen – Non-Official Director
5.	Sh M S Dadu – Non-Official Director

During Financial Year 2017-18, Management Committee of the Board met on 13 occasions on the following dates:

16.05.2017	15.06.2017	29.06.2017	24.07.2017	07.09.2017
27.09.2017	14.11.2017	05.12.2017	26.12.2017	09.01.2018
02.02.2018	13.02.2018	09.03.2018		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	9	9
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	3	3
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	13	13
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	7	7
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2017 to 31.03.2018	13	11
Sh. Atanu Sen -- Non Official Director	30.01.2017 to 29.07.2017 18.01.2018 to 31.03.2018	7	7
Sh. M S Dadu -- Non Official Director	18.01.2018 to 31.03.2018	3	3
Sh. M S Sarang – Shareholders Director	01.04.2017 to 30.06.2017	3	3
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholders Director	21.07.2017 to 20.01.2018	7	7
Sh. T R Mendiratta – Shareholders Director	30.07.2017 to 29.01.2018	6	5

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी)

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर कार्यकारी निदेशक जोकि सनदी लेखाकार है, समिति का अध्यक्ष है।

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा-निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम देने से पूर्व, केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक-सनदी लेखाकार श्रेणी (अध्यक्ष)
2.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना – भार.रि.बैंक नामित निदेशक
5.	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी) की 06 अवसरों पर बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं:

13.04.2017	16.05.2017	28.06.2017	09.08.2017	14.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहाभागिता की
1	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक-सनदी लेखाकार श्रेणी (दिनांक 18.01.2018 से अध्यक्ष)	18.01.2018 से 31.03.2018	1	1
2	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	3	3
3	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	3
4	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	4	4
5	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	2	2
6	श्री पी.के. जेना – भार.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	6	6
7	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	30.07.2017 से 18.01.2018	2	2
8	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	09.01.2018 से 31.03.2018	1	1
9	श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	3	3

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The composition of the Audit Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S R Ghedia – Non Official Director -CA Category (Chairperson)
2.	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director
3.	Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director
4.	Sh. P K Jena – RBI Nominee Director
5.	Sh. Harsh Bir Singh -- Shareholders Director

During the Financial Year 2017-18, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 6 occasions on the dates given below:

13.04.2017	16.05.2017	28.06.2017	09.08.2017	14.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S R Ghedia – Non Official Director-CA Category (Chairperson since 18.01.2018)	18.01.2018 to 31.03.2018	1	1
2	Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	3	3
3	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	3
4	Sh. S R Mehar- MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	4	4
5	Sh. S. Selva Kumar - MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	2	2
6	Sh. P K Jena -- RBI Nominee Director	01.04.2017 to 31.03.2018	6	6
7	Sh. Atanu Sen – Non Official Director	30.07.2017 to 18.01.2018	2	2
8	Sh. Harsh Bir Singh – Share Holder Director	09.01.2018 to 31.03.2018	1	1
9	Sh. S P Babuta – Shareholders Director	01.04.2017 to 30.06.2017	3	3

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2004 सं. आरबीआई/2004.5. डीबीएस.एफजीवी(एफ) नं.1004 / 23.04.01ए / 2003-04 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरुद्ध कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलम्ब के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ रुपए और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य ही करेगी। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 1 करोड़ रुपए और उसके ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है ताकि :

- धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सकें।
- धोखाधड़ी के पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।
- सीबीआई/पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति।
- यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना।
- धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने हेतु यथावश्यक अन्य उपायों को करना।

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्न है :

15.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

निदेशकों का उनकी अवधि के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

नाम	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	1	1
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	3
श्री एस.पी. बबूता – शेरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	1	1

4.3 Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI
- Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Sh. Govind N Dongre -- Executive Director
3.	Sh. S. Selva Kumar - MOF Nominee Director
4.	Sh. Atanu Sen – Non Official Director

The Committee met four times during the Financial Year 2017-18 as per the details below:

15.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	3	3
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	1	1
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	4	4
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	1	1
Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. Atanu Sen -- Non official Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	3
Sh. S P Babuta - Share Holder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	1	1

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी. नं. 7/23.04.001/2009-10 द्वारा सूचित किया है कि धोखाधड़ी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी तुरंत सूचना सही प्राधिकारी को दी जाए। भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ रूपए और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

दिनांक 12.12.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 20214 के अनुसार, एक स्वतंत्र नए विभाग “धोखाधड़ी निगरानी विभाग” की दिनांक 07.02.2013 को एक ही स्थान पर स्थापना की गई है ताकि किए गए प्रयासों में किसी प्रकार की कोताही और कमी न हो सके। पूर्व में धोखाधड़ी के मामलों की दो स्थानों पर देखभाल की जाती थी अर्थात् रु.1 करोड़ एवं उससे ऊपर के मामलों को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग जबकि रु.1 करोड़ से कम राशि के मामलों की देखभाल प्र.का. सतर्कता विभाग द्वारा की जाती थी। नए प्रावधान से धोखाधड़ी के मामलों की नजदीक से निगरानी, पुराने धोखाधड़ी के मामलों पर तुरंत कार्रवाई और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ बार-बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय किए जा सकेंगे और जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को समय से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकेगी।

4.4 बोर्ड की सतर्कता समिति :

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10/12/90/सतर्कता/सीवीओ की शर्तों के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्यों की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की एक सतर्कता समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक
4.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार चार अवसरों पर बैठकें कीं :

16.05.2017	07.09.2017	14.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न प्रकार है—

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	1	1
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	4	4

4.5 जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति मुख्य तीन जोखिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हो तो सही निर्देश जारी करती है।

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 had advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has since then set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

In terms of Board Resolution no. 20214 dated 12.12.2012, a new independent Deptt named 'Fraud Monitoring Department' has been working since 07.02.2013 at one place, leaving no scope to overlapping and duplicity of effort. Earlier, fraud cases were dealt at two places viz the large value fraud of Rs. one crore & above at HO. Inspection Deptt, where as frauds below the amount of Rs. one crore were being dealt by HO. Vigilance Deptt. The new set up resulted in close monitoring of fraud cases, faster closure of old fraud cases and effective follow up and implementation of preventive measures to check the recurrence of frauds & improvement in timely reporting of frauds to RBI.

4.4 Vigilance Committee of the Board

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 with following members:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre -- Executive Director
3.	Shri P K Jena – RBI Nominee Director
4.	Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director

The Committee met four times during the Financial Year 2017-18 as per the details below:

16.05.2017	07.09.2017	14.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	3	3
Sh. M K Jain– Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	1	1
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	1	1
Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2017 to 31.03.2018	4	4

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक
5.	श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक
6.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार छः अवसरों पर बैठकें कीं :

15.05.2017	28.06.2017	07.09.2017	14.11.2017
26.12.2017	13.02.2018		

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	5	5
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	2	2
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	6	6
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	3	3
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	6	6
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	2	2
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	2	1
श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	4	3

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढाँचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढाँचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से है। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थायित्व एवं कार्यक्षमता बनी रहे और बैंक की सुरक्षा की भी देखभाल होती रहे।

4.6 ग्राहक सेवा समिति :

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है।

31 मार्च, 2018 को समिति के निम्न सदस्य हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक-सनदी लेखाकार श्रेणी
5.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri Atanu Sen – Non official Director
4.	Shri M S Dadu – Non official Director
5.	Shri T R Mendiratta - Shareholder Director

The Committee met six times during the Financial Year 2017-18 as per the details below:

15.05.2017	28.06.2017	07.09.2017	14.11.2017
26.12.2017	13.02.2018		

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	5	5
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	6	6
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	3	3
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2017 to 31.03.2018	6	6
Sh. Shri S P Babuta – Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	2	2
Sh. M S Sarang – Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	2	1
Sh. Harsh Bir Singh -- Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	4	4
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	4	3

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6 Customer Service Committee:

Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2018:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar -- MOF Nominee Director
4.	Shri S R Ghedia – Non Official Director –CA Category
5.	Shri T R Mendiratta – Shareholder Director

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है :

- ग्राहक सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करती है और सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं लेखा परीक्षा कार्यनिष्पादन संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति (सी.पी.पी.ए.पी.एस.) की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि के गुजर जाने पर भी लागू न किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पायी गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- ग्राहक सेवा में गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

15.05.2017	27.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	1	0
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	3	3
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	1	0
श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	2

4.7 शेयरधारक/हितधारक संबंध समिति :

सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 17.04.2014 के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सूचीकरण करार के प्रावधानों की समीक्षा की है और कार्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सूचीकरण करार के संशोधित खण्ड 49 को अधिसूचित किया है जोकि दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी है। खण्ड 49(VIII)(ई) के अनुसार गैर-आधिकारिक निदेशक की अध्यक्षता में "शेयरधारक संबंध समिति" का गठन किया जाएगा जो शेयरधारकों तथा निवेशकों की कोई शिकायत, यदि कोई है, का निवारण करेगी।

अंशधारकों, डिबेंचरधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों के परिवादों के निवारण करने की प्रक्रिया के लिए शेयरधारक संबंध समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	
1.	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	सदस्य
4.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2017-18 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

16.05.2017	07.09.2017	15.11.2017	09.01.2018
------------	------------	------------	------------

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- i. Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- iii. Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele.

During the Financial Year 2017-18, the Committee met on the following dates:

15.05.2017	27.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	3	3
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	1	1
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	1	0
Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	3	3
Sh. M S Sarang- Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	1	0
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	2

4.7 Stakeholders Relationship Committee:

SEBI vide Circular dated 17.04.2014, has reviewed the provisions of the Listing Agreement relating to Corporate Governance as per provisions of Companies Act, 2013 and has notified revised Clause 49 of the Listing Agreement relating to Corporate Governance w.e.f. 01.10.2014. Clause 49(VIII) (E) provides that a Committee under the Chairmanship of a non-executive Director named as “Stakeholders Relationship Committee” shall be formed to redress shareholders and investors complaints, if any.

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted to look into the mechanism of redressal of grievances of Shareholders, Debenture holders and other security holders.

The composition of the Committee as on 31st March 2018 is as under:

S. No.	Name of Director	
1.	Shri Harsh Bir Singh – Shareholder Director	Chairperson
2.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director	Member
3.	Shri Govind N Dongre – Executive Director	Member
4.	Shri T R Mendiratta – Shareholder Director	Member

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2017-18

16.05.2017	07.09.2017	15.11.2017	09.01.2018
------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	1	1
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	1	1
श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	3
श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	3

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार है:

01.04.2017 का शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2018 को बकाया
शून्य	08	08	शून्य

दिनांक 31.03.2018 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी। श्री अजीत सिंह आहूजा, कंपनी सचिव को सेबी के विनियमन 6 की शर्तों के अनुसार (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 के तहत बैंक के “अनुपालन अधिकारी” के रूप में नामित किया गया है।

4.8 मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन विकास समिति का गठन दिनांक 05.05.2012 को बोर्ड प्रस्ताव संख्या 19841 के द्वारा मानव संसाधन की विकासशील योजनाओं को गति प्रदान करने और विभिन्न यूनियनों तथा एशोसिएट्स के साथ विचार-विमर्श करने हेतु किया गया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और अन्य कोई सदस्यों के मध्य से कोई एक बैठक के कोरम के लिए आवश्यक है। बैठक कभी भी आवश्यक हो, की जा सकती है लेकिन तिमाही में कम से कम एक बार की जानी आवश्यक है। दिनांक 31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक
5.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुईं :

15.05.2017	29.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	2	2
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	5	5
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	3	3
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	1	1
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. M S Sarang – Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	1	1
Sh. S P Babuta – Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	1	1
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	3
Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	3

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2017	Received during the year	Resolved during the	Pending as on 31.03.2018
NIL	08	08	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2018. Shri Ajit Singh Ahuja, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

4.8 HR Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter. The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar -- MOF Nominee Director
4.	Shri M S Dadu – Non official Director
5.	Shri T R Mendiratta – Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2017-18

15.05.2017	29.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	4	4
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	2	2
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	5	5
Shri Govind N Dongre -- Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2

श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	2	1
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2017 से 15.03.2018	5	5
श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक	15.03.2018 से 31.03.2018	0	0
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	2	1
श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	2

4.9 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति :

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल में तीव्रता लाने और तकनीक के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से, निम्न सदस्यों के साथ बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति कार्यरत है।

दिनांक 31.03.2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक
5.	श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक
6.	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

15.05.2017	29.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

निदेशकों की समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	2	2
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	5	5
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	2	2
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2017 से 15.03.2018	5	5
श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक	15.03.2018 से 31.03.2018	0	0
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	30.01.2017 से 30.06.2017	2	2
श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	3

4.10 कार्यपालकों की पदोन्नति पर बोर्ड की समिति :

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों का कार्य देखने के लिए, निदेशकों की समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

Shri S R Mehar -- MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	2	1
Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	2	2
Shri Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2017 to 15.03.2018	5	5
Sh M S Dadu –Non Official Director	15.03.2018 to 31.03.2018	0	0
Shri M S Sarang – Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	2	1
Shri T R Mendiratta -- Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	2

4.9 IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place.

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar -- MOF Nominee Director
4.	Shri Atanu Sen -- Non official Director
5.	Shri M S Dadu – Non official Director
6.	Shri Harsh Bir Singh – Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2017-18

15.05.2017	29.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	4	4
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	2	2
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	5	5
Shri Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2
Shri S R Mehar -- MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	2	2
Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	2	2
Shri Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2017 to 15.03.2018	5	5
Sh M S Dadu –Non Official Director	15.03.2018 to 31.03.2018	0	0
Shri S P Babuta –Shareholder Director	30.01.2017 to 30.06.2017	2	2
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	3

4.10 Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Govt. of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level.

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुईं :

27.07.2017	19.03.2018		
------------	------------	--	--

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	15.03.2018 से 31.03.2018	1	1
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	15.03.2018 से 31.03.2018	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	1	1
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	1	1
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	2	2

4.11 अपील और समीक्षा के मामलों से निपटने के लिए समिति :

अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा याचिका तथा अपीलों पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 10.08.2016 के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 22389 द्वारा बोर्ड की समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 31.03.2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस सेल्वाकुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
2.	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक
3.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

4.12 वसूली की निगरानी करने हेतु समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांक 21.11.2012 संख्या एफ.नं. 7 / 112 / 2012-बी.ओ.ए. के निर्देशानुसार, निदेशकों की एक समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक सम्मिलित हैं, बैंक में वसूली की प्रगति की निगरानी करने के लिए का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी)
5.	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director
4.	Shri P K Jena – RBI Nominee Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2017-18

27.07.2017	19.03.2018			
------------	------------	--	--	--

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	1	1
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	15.03.2018 to 31.03.2018	1	1
Shri Govind N Dongre -- Executive Director	15.03.2018 to 31.03.2018	1	1
Shri S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	1	1
Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	1	1
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2017 to 31.03.2018	2	2

4.11 Committee for dealing with the case of appeals and review:

A committee for dealing with the case of appeals and review has been constituted vide Board Resolution No. 22389 dated 10.08.2016 for deciding appeals and review petitions of Disciplinary cases.

The composition of the committee as on 31.03.2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri S Selvakumar – MOF Nominee Director
2.	Shri Harsh Bir Singh – Shareholder Director
3.	Shri T R Mendiratta – Shareholder Director

4.12 Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no.F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director
4.	Shri S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)
5.	Shri Harsh Bir Singh – Shareholder Director

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुईं :

15.05.2017	27.09.2017	15.11.2017	26.12.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	5	5
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	3	3
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	1	0
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी)	15.03.2018 से 31.03.2018	0	0
श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	4	4

4.13 शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति का निर्वाचन- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 03.04.2012 की शर्तों के अनुसार विभिन्न कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में एक उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने हेतु बोर्ड की समिति का गठन बोर्ड संकल्प दिनांक 05.05.2012 संख्या 19840 द्वारा किया गया।

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी)
4.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

4.14 इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति

कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में पार्टी को इरादतन चूककर्ता घोषित करने के आदेश की समीक्षा करने हेतु समिति का गठन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो स्वतन्त्र निदेशकों के साथ किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक

वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

4.15 नामांकन समिति

भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड 'फिट एवं प्रोपर' के अनुसार जाँच, नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक सावधानी बरतने हेतु दिनांक 29.03.2017 के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 22749 द्वारा कम से कम तीन सदस्यों के साथ नामांकन समिति का गठन किया गया है।

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2017-18

15.05.2017	27.09.2017	15.11.2017	26.12.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	4	4
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	1	1
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	5	5
Shri Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	3	3
Shri S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	1	0
Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	4	4
Shri S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)	15.03.2018 to 31.03.2018	0	0
Shri Harsh Bir Singh – Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	4	4

4.13 Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various Companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed– Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)
4.	Shri T R Mendiratta – Shareholder Director

4.14 Review Committee for Willful Defaulter

Review Committee for willful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee by ED for declaration of the party as Willful Defaulter, consisting of two Independent Directors, headed by Chairman & Managing Director.

The composition of the Committee as on 31st March 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed– Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar -- MOF Nominee Director
4.	Shri Atanu Sen – Non Official Director

No meeting was held during the year.

4.15 Nomination Committee

Nomination Committee with minimum three members has been constituted vide Board Resolution No. 22749 Dated 29.03.2017 to under- take due diligence for necessary process of Nomination, screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक
2.	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी)
3.	श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की दिनांक 15.06.2017 को बैठक हुई ।

4.16 शेयर अंतरण समिति:

चार कार्यपालकों की समिति जिसमें तीन महाप्रबंधक, एक उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक हैं, संयोजक के रूप में कंपनी सचिव के साथ एक परखवाड़े में शेयरों का संप्रेषण/अंतरण/रीमेट/डीमेट का अनुमोदन करने के लिए बैठक करती है। बोर्ड की होने वाली बैठक में शेयर अंतरण समिति का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान शेयर अंतरण समिति की छब्बीस बैठकें आयोजित की गईं। बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से 15 दिन के अंदर सभी शेयरों का अंतरण कर दिया जाए।

4.17 अन्य प्रकटन

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ निदेशकों के मध्य आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य पद्धति कार्यक्रम का विवरण "निवेशकों की सूचना" के शीर्ष के अंतर्गत बैंक की वेबसाईट www.psbindia.com पर प्रकट किया गया है।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक:

गैर-कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन एवं बकायों का भुगतान:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (₹.)
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	21,33,000.00 (01.04.2017 से 31.12.2017)
2.	श्री एम.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	6,91,235.64 (01.04.2017 से 15.07.2017)
3.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	22,44,122.00
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे	कार्यकारी निदेशक	10,59,945.00 (10.10.2017 से 31.03.2018)

ख. वर्ष 2017-18 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है (पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार तथा भा.रि. बैंक द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है) :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (₹.)
1	श्री एस.पी. बबूता	1,40,000
2	श्री एम.एस. सारंग	1,10,000
3	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता	2,50,000
4	श्री अतनु सेन	4,40,000
5	श्री हर्ष बीर सिंह	3,50,000
6	श्री एम.एस. दादू	70,000
7	श्री एस.आर. घेडीया	50,000
	कुल योग	14,10,000

The composition of the Committee as on 31st March 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Atanu Sen – Non official Director
2.	Shri S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)
3.	Shri M S Dadu -- Non official Director

The Committee met on 15.06.2017 during the Financial Year 2017-18.

4.16 Share Transfer Committee:

A committee of four officials comprising of three GMs, one DGM/ AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty six meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2016-17. The Bank ensures that all the transfer of shares is affected within a period of fifteen days from the date of their lodgment.

4.17. Other Disclosures:

- The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between directors inter-se.
- The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website www.psb.india.com under head of "Investors Information".

5. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2017-18:

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri Jatinderbir Singh	Chairman & Managing Director	21,33,000.00 (01.04.2017 to 31.12.2017)
2	Shri M K Jain	Executive Director	6,91,235.64 (01.04.2017 to 15.07.2017)
3	Shri Fareed Ahmed	Executive Director	22,44,122.00
4	Sh. Govind N Dongre	Executive Director	10,59,945.00 (10.10.2017 to 31.03.2018)

B. The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2017-18 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and Reserve Bank of India):

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Sh. S P Babuta	1,40,000
2	Sh. M S Sarang	1,10,000
3	Sh. T R Mendiratta	2,50,000
4	Sh. Atanu Sen	4,40,000
5	Sh. Harsh Bir Singh	3,50,000
6	Sh. M S Dadu	70,000
7	Sh. S R Ghedia	50,000
	TOTAL	14,10,000

6. अदावी/दावा न किए गए लाभांश :

बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुसार, बैंक को लाभांश की राशि जिसे अपने संबंधित लाभांश खाते में अंतरित की तिथि से सात वर्ष तक अदावी/अदा नहीं किया गया हो, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) में अंतरित करना आवश्यक होगा।

दिनांक 31.03.2018 को ऐसे अप्रदत्त लाभांश खातों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	अप्रदत्त लाभांश का विवरण	31.03.2018 को शेष राशि
1.	लाभांश 2010-11	9,14,428.00
2.	लाभांश 2011-12	11,31,106.00
3.	लाभांश 2012-13	16,43,247.60
4.	लाभांश 2013-14 (अन्तरिम)	14,08,556.40
5.	लाभांश 2013-14 (अंतिम)	6,56,967.60
6.	लाभांश 2014-15	5,19,131.70
7.	लाभांश 2015-16	14,39,077.15

7. प्रकटीकरण :

- क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जहाँ बैंक के व्यापक हितों में टकराव की संभावना बनती हो।
- ख) संबंधित पार्टी प्रविष्टियां नीति बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है।
- ग) बैंक पर विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए, न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।
- घ) बैंक की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' परिचालित है और किसी भी व्यक्ति को इसे देखने से रोका नहीं गया है।
- ङ) व्यवसायिक उत्तदायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है।
- च) बेसल-II और बेसल-III बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध हैं।
- छ) लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है।

8. अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं:

बैंक ने सेबी की (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं/अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के अनुसार लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। सेबी की अनुसूची-II के भाग-ई [विनियमन 27(1)] (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विवेकाधीन आवश्यकताओं को लागू करने का परिमाण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	विवेकाधीन आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने का पात्र है।	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है।
2.	कंपनी बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सी.ई.ओ. के पद पर नियुक्त कर सकती है।	भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुरूप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जाती है।
3.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छ:माही घोषणा शेरधारकों को भेजी जा सकती है।	शेयरधारकों की सूचना हेतु तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज भेजा जाता है, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और शेयरधारकों की जानकारी हेतु बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
4.	कंपनी को अपरिशोधित वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जा सकती है।	बैंक की वित्तीय विवरणियां अनक्वालिफाइड होती हैं।
5.	आंतरिक लेखाकार सीधे तौर से लेखा परीक्षण समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखाकारों की रिपोर्टों को सीधे तौर पर लेखा परीक्षण समिति के समक्ष रखा जाता है।

6. Unclaimed Dividend:

In terms of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Bank is required to transfer amount of Dividends that remain unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date on which they were transferred to the respective Unpaid Dividend Account, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Companies Act 2013.

The details of such unpaid Dividend accounts outstanding as on 31.03.2018 are as under:-

Sr. No	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2018
1.	Dividend 2010-11	9,14,428.00
2.	Dividend 2011-12	11,31,106.00
3.	Dividend 2012-13	16,43,247.60
4.	Dividend 2013-14 (Interim)	14,08,556.40
5.	Dividend 2013-14 (Final)	6,56,967.60
6.	Dividend 2014-15	5,19,131.70
7.	Dividend 2015-16	14,39,077.15

7. DISCLOSURES:

- There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at www.psb.india.com.
- No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access.
- Business Responsibility Report is available on website of the Bank at www.psb.india.com.
- Basel-II and Basel-III is available on website of the Bank at www.psb.india.com.
- Dividend Distribution Policy is available on the website of the Bank at www.psb.india.com.

8. MANDATORY AND DISCRETIONARY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No	Discretionary requirements	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Company may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	Chairman & Managing Director is appointed by Govt. of India in terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1980
3.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	Quarterly/Half Yearly/Yearly financial results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on Bank's website www.psbindia.com for information of the shareholders.
4.	Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The financial statements of the Bank are unqualified.
5.	The internal auditor may report directly to the audit committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

9. संप्रेषण के साधन :

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारीयों के विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहाँ पर बैंक की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम न्यूनतम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं (एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी), जैसा भी आवश्यक हो।

बैंक के तिमाही/वर्ष दर वर्ष/वार्षिक परिणामों की प्रति बैंक की वेबसाइट – <http://www.psbindia.com> पर उपलब्ध है।

भारत में बैंक के इक्विटी शेयर निम्न प्रमुख दो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं :

1. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लि.

फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई 400001
बीएसई कोड: 533295

2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400051
एनएसई कोड: पीएसबी-ईक्यू

एनएसडीएल, सीडीएसएल को अभिरक्षा शुल्क और बीएसई, एनएसई को एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सूचीकरण शुल्क का आज तक का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक द्वारा जारी टीयर-II बॉन्डों के संबंध में डेबिट सूचीयन करार के खंड 2A तथा दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के सेबी परिपत्र संख्या परि/आईएमडी/डीएफ/18/2013 की शर्तों के अनुसार डिबेंचर ट्रस्टी का प्रकटन

बॉन्ड धारकों हेतु ट्रस्टी



आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.

पंजीकृत कार्यालय
एशियन बिल्डिंग, भूतल
17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुम्बई – 400001
दूरभाष : (022) 40807000, फैक्स : 91-22-66311776 / 40807080
ई-मेल : itsl@idbitrustee.com

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

द्वितीय तल 'ई', एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल परिसर,
पन्डूरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई – 400025
दूरभाष : (022) 24252525, फैक्स : +91-22-24252525
ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.com

विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

आईएल एंड एफएस वित्तीय केंद्र, प्लॉट संख्या सी-22, जी ब्लॉक, 7वां तल
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400051, भारत
दूरभाष : (022) 26593535, फैक्स : 91-22-26533297
ई-मेल : mumbai@vistara.com

9.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण :

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण हेतु नेशनल सिक्क्योरिटी डिपॉजिटरी (इंडिया) लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

9. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its shareholders and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are published in minimum two newspapers (one English and one Hindi) as required.

The quarterly / year to year / Annual Financial Results of the Bank & Press Release are hosted on the Bank's website: <http://www.psbindia.com>.

The Bank's equity shares are listed on the following major Stock Exchanges in India :

1) Bombay Stock Exchange Ltd.

Phiroze jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai-400 001
BSE Code: 533295

2) National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051
NSE CODE : PSB-EQ

Custodial fee to NSDL, CDSL and listing fees to BSE, NSE in respect of all securities listed with the exchange(s) has been paid.

Disclosure of Debenture Trustees in Terms of SEBI Circular no. CIR/IMD/DF/18/2013 dated 29th October, 2013 and clause 2A of Debt Listing Agreement in respect of TIER – II Bonds issued by the Bank

TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS :



IDBI Trusteeship Services Ltd.

Registered Office

AsianBuilding, Ground Floor, 17, R Kamani Marg,
 Ballard Estate, Mumbai – 400 001
 Tel No. (022) 40807000
 Fax No. 91-22-66311776 / 40807080
 E-mail:itsl@idbitrustee.com

Axis Trustee Services Limited

2nd Floor 'E', Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound,
 Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400025
 Tel No: (022) 24252525 Fax No: +91-22-24252525
 Email: debenturetrustee@axistrustee.com

Vistra ITCL (India) Limited

The IL&FS Financial Centre, Plot No. C-22, G Block, 7th Floor,
 Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400051, India
 Tel No. (022) 26593535; Fax No. 91-22-26533297
 E-mail:Mumbai@vistra.com

9.1 Dematerialisation of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

31 मार्च, 2018 को बैंक के पास 56,49,12,284 इक्विटी शेयर हैं जिनमें से 56,48,25,735 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	86549	0.0015
अभौतिक		
एन.एस.डी.एल.	7,14,51,970	12.6483
सी.एस.डी.एल.*	49,33,73,765	87.3363
कुल योग	56,49,12,284	100.0000

* दिनांक 27.03.2018 को आबंटित 16,45,01,257 इक्विटी शेयर शामिल हैं और इसे दिनांक 04.04.2018 को भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के डीमैट खाते में जमा किया गया था।

9.2 ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.)

ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं भुगतान की आधुनिक प्रणाली है जिसमें संबंधित निवेशक के खाते में लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे तौर पर जमा की जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को सभी केंद्रों पर, जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन ई.सी.एस./एन.ई.सी.एस. सुविधाएं उपलब्ध हैं, सेवा का लाभ उठाने का विकल्प दिया है।

9.3 शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायत निवारण करने की प्रणाली हेतु हितधारक संबंधों पर समिति का गठन किया है। समिति नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करती है और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है। बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन भी किया है जो शेयरों के संप्रेषण/अंतरण/रीमेट/डीमेट का अनुमोदन करने के लिए न्यूनतम एक पखवाड़े में बैठक करती है।

बैंक ने लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. को अपने शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, शेयरों, लाभांश आदि के मुद्दे से जुड़े अन्य गतिविधियों के बीच निवेशकों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना है।

निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतों को निम्न पते पर शेयर अंतरण एजेंट को प्रेषित कर सकता है :

लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि.

(यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I,

पी.वी.आर. नारायणा के पास, नई दिल्ली-110028

दूरभाष: (011) 41410592 से 0594

फैक्स: (011) 41410591

ई मेल: delhi@linkintime.co.in

बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में की है, जहाँ शेयरधारक अपने अनुरोधों/शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय : लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)

21, राजेंद्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली -110008

दूरभाष : (011) 25782926, 25728930, 25812922

फैक्स: (011) 25781639

ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

(उक्त ई-मेल आईडी सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 6(2)(डी) के अनुसार निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है)

As on March 31, 2018 the Bank has 56,49,12,284 Number of Equity Shares of which 56,48,25,735 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	86549	0.0015
Dematerialized		
NSDL	7,14,51,970	12.6483
CDSL *	49,33,73,765	87.3363
Grand Total	56,49,12,284	100.0000

* includes 16,45,01,257 equity shares allotted on 27.03.2018 and the same were credited to Demat account of President of India (Govt. of India) on 04.04.2018

9.2 Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its ECS/NECS facility.

9.3 Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfer of Shares are duly affected within a period of fifteen from the date of their lodgment. The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances. The Board has also constituted Share Transfer Committee which meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares.

The Bank has appointed Link Intime India Pvt Ltd as its Share Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares, dividend etc.

The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Share Transfer Agent at following address:

Link Intime India Pvt Ltd

(Unit: Punjab & Sind Bank)

44, Community Centre, IInd floor, Naraina Indl. Area, Phase-I,
Near PVR Naraina, New Delhi-110 028.

Phone : (011) 41410592 to 0594

Fax : (011) 41410591

E Mail : delhi@linkintime.co.in

The Bank has established Shares Cell at Head Office, 21,Rajendra Place,New Delhi-110008 wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution, at the address given below:

Punjab & Sind Bank

Head Office : Accounts & Audit Deptt.(Shares Cell),

21-Rajendra Place, 1st Floor, New Delhi-110 008.

Telephone : (011) 25782926, 25728930, 25812922

Fax : (011) 25781639

E-mail : complianceofficer@psb.co.in

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015.

10. निलंब खाते में आबंटियों के अदावी श्रेयों के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट (31.03.2018) :

क्र.सं.	विवरण	एनएसडीएल आईएन301330 -21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के आरंभ में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए श्रेयों की संख्या	1172	1230
2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयर धारकों की संख्या और शेयर धारकों की संख्या जिनके शेयरो को उचंत खाते से अंतरित किया गया	---	---
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए श्रेयों की संख्या	1172*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरो के वोटिंग अधिकारों पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरो का असली स्वामी दावा नहीं करता है।

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियों, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को परिलक्षित करती है।

12. वित्तीय कैलेंडर (संभावित) :

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018	
आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	29.06.2018 (शुक्रवार)
आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक का समय	10 बजे प्रातः काल
आठवीं सामान्य बैठक का स्थल	स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, प्लॉट नं.3, सैक्टर-3, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर गोलडन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085
बहियों को बंद करने की तारीख	23.06.2018 से 29.06.2018
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	23.06.2018 (सायंकाल 5.00 बजे तक)

13. 31 मार्च, 2018 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत (%)
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक)	1	483324032	85.56
2.	वित्तीय संस्थान / बीमा कंपनियां / बैंक	16	43080840	7.63
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक	1	7133	0.00
4.	कॉरपोरेट निकाय	512	3608425	0.64
5.	व्यक्तिक निवासी	113188	25454917	4.51
6.	हिन्दू अविभाजित परिवार	6322	1274587	0.23
7.	अनिवासी भारतीय	1041	1052531	0.19
8.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	12	6238264	1.10
9.	ट्रस्ट	8	280722	0.05
10.	समाशोधन सदस्य	223	590833	0.10
	कुल योग	121324	564912284	100.00

10. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.3.2018):

S. No.	Particulars	NSDL	CDSL
		IN301330-21335661	1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1172	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1172*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

11. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms.

12. Financial Calendar (tentative):

Financial Year 1st April, 2017 to 31st March, 2018	
Date of Eighth Annual General Meeting.	29.06.2018 (Friday)
Time of Eighth Annual General Meeting	10.00 A.M.
Venue of Eighth Annual General Meeting	Staff Training College, Plot No. 3, Sector 3, Institutional Area, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi – 110 085.
Book Closure dates	23.06.2018 to 29.06.2018
Last Date for receipt of Proxy Forms	23.06.2018 (upto 5.00 pm)

13. Shareholding Pattern as on 31st March 2018

Sr. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	483324032	85.56
2.	Financial Institutions/Ins Cos/ Banks	16	43080840	7.63
3.	Foreign Institutional Investors	1	7133	0.00
4.	Bodies Corporate	512	3608425	0.64
5.	Resident Individuals	113188	25454917	4.51
6.	Hindu Undivided Family	6322	1274587	0.23
7.	Non Resident Indians	1041	1052531	0.19
8.	Foreign Portfolio Investor(Corporate)	12	6238264	1.10
9.	Trusts	8	280722	0.05
10.	Clearing Members	223	590833	0.10
	Total	121324	564912284	100.00

14. 31 मार्च, 2018 को शेयरधारिता (शेयर) का श्रेणी-वार वितरण

संवर्ग	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	कुल का प्रतिशत
1 – 500	113615	93.6459	9810904	1.7367
501 – 1000	4013	3.3077	3169757	0.5611
1001 – 2000	1940	1.5990	2881811	0.5101
2001 – 3000	601	0.4954	1525969	0.2701
3001 – 4000	273	0.2250	982871	0.1740
4001 – 5000	234	0.1929	1105433	0.1957
5001 – 10000	334	0.2753	2449895	0.4337
10001 और अधिक	314	0.2588	542985644	96.1186
कुल योग	121324	100.00	564912284	100.00

15. स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मूल्य, शेयरों में खरीद-फरोख्त की मात्रा : (दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक)

माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एन.एस.ई.)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बी.एस.ई.)		
	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम(रु.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)
अप्रैल, 2017	64.80	55.00	5815002	64.65	55.40	805670
मई, 2017	72.30	51.70	9939334	72.30	51.75	1757920
जून, 2017	59.40	49.50	2316564	59.45	49.55	399801
जुलाई, 2017	57.55	49.30	3343719	57.60	50.00	453664
अगस्त, 2017	54.95	47.05	1831029	54.55	47.25	246400
सितम्बर, 2017	49.80	45.00	2852126	49.30	45.10	353833
अक्टूबर, 2017	56.90	44.85	7219014	56.90	44.45	928874
नवम्बर, 2017	55.00	48.30	4177201	54.95	48.50	634630
दिसम्बर, 2017	49.70	45.55	1638707	50.80	45.90	174608
जनवरी, 2018	51.05	44.70	2930447	50.95	44.85	460725
फरवरी, 2018	46.00	37.45	2714525	46.00	37.50	315263
मार्च, 2018	39.20	33.40	2586609	38.75	33.40	626965

14. Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2018

Shareholding of Shares	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	% of Total
1 – 500	113615	93.6459	9810904	1.7367
501 – 1000	4013	3.3077	3169757	0.5611
1001 – 2000	1940	1.5990	2881811	0.5101
2001 – 3000	601	0.4954	1525969	0.2701
3001 – 4000	273	0.2250	982871	0.1740
4001 – 5000	234	0.1929	1105433	0.1957
5001 – 10000	334	0.2753	2449895	0.4337
10001 & Above	314	0.2588	542985644	96.1186
TOTAL	121324	100.00	564912284	100.00

15. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges: (From 01.04.2017 to 31.03.2018)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)			Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)
APR 2017	64.80	55.00	5815002	64.65	55.40	805670
MAY 2017	72.30	51.70	9939334	72.30	51.75	1757920
JUN 2017	59.40	49.50	2316564	59.45	49.55	399801
JUL 2017	57.55	49.30	3343719	57.60	50.00	453664
AUG 2017	54.95	47.05	1831029	54.55	47.25	246400
SEP 2017	49.80	45.00	2852126	49.30	45.10	353833
OCT 2017	56.90	44.85	7219014	56.90	44.45	928874
NOV 2017	55.00	48.30	4177201	54.95	48.50	634630
DEC 2017	49.70	45.55	1638707	50.80	45.90	174608
JAN 2018	51.05	44.70	2930447	50.95	44.85	460725
FEB 2018	46.00	37.45	2714525	46.00	37.50	315263
MAR 2018	39.20	33.40	2586609	38.75	33.40	626965

16. 31 मार्च, 2018 को श्रेयधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

क्र.सं.	राज्य	मामले	श्रेय	(श्रेयों की संख्या) %
1.	अंडमान एवं निकोबार	8	433	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	4744	1813163	0.32
3.	अरुणाचल प्रदेश	89	19913	0.00
4.	असम	463	112500	0.02
5.	बिहार	1256	326991	0.06
6.	चंडीगढ़	728	208403	0.04
7.	छत्तीसगढ़	580	110999	0.02
8.	दमन एवं दीव	6	496	0.00
9.	दिल्ली	11835	323639783	57.29
10.	गोवा	179	28408	0.01
11.	गुजरात	22545	3496509	0.62
12.	हरियाणा	4056	858309	0.15
13.	हिमाचल प्रदेश	248	75465	0.01
14.	जम्मू एण्ड कश्मीर	203	74245	0.01
15.	झारखंड	1064	230185	0.04
16.	कर्नाटक	5353	1438284	0.25
17.	केरल	1316	499559	0.09
18.	मध्यप्रदेश	3374	876356	0.16
19.	महाराष्ट्र	23523	56516924	10.00
20.	मणिपुर	7	1173	0.00
21.	मेघालय	17	4076	0.00
22.	मिजोरम	1	98	0.00
23.	नागालैंड	16	3682	0.00
24.	उड़ीसा	770	192127	0.03
25.	पांडिचेरी	62	13856	0.00
26.	पंजाब	4255	1200579	0.21
27.	राजस्थान	11116	1811553	0.32
28.	सिक्किम	2	250	0.00
29.	तामिलनाडु	5991	1699938	0.30
30.	त्रिपुरा	24	5830	0.00
31.	उत्तर प्रदेश	6781	1780904	0.32
32.	उत्तराखण्ड	593	124203	0.02
33.	पश्चिम बंगाल	8679	2548436	0.45
34.	ए.पी.ओ. / अन्य	1440	165198654	29.24
	कुल योग	121324	564912284	100.00

16. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2018

Sr. No.	State	Cases	Shares	% (No. of Shares)
1.	ANDAMAN & NICOBAR	8	433	0.00
2.	ANDHRA PRADESH	4744	1813163	0.32
3.	ARUNACHAL PRADESH	89	19913	0.00
4.	ASSAM	463	112500	0.02
5.	BIHAR	1256	326991	0.06
6.	CHANDIGARH	728	208403	0.04
7.	CHATTISGARH	580	110999	0.02
8.	DAMAN & DIU	6	496	0.00
9.	DELHI	11835	323639783	57.29
10.	GOA	179	28408	0.01
11.	GUJARAT	22545	3496509	0.62
12.	HARAYANA	4056	858309	0.15
13.	HIMACHAL PRADESH	248	75465	0.01
14.	JUMMU & KASHMIR	203	74245	0.01
15.	JHARKHAND	1064	230185	0.04
16.	KARNATAKA	5353	1438284	0.25
17.	KERALA	1316	499559	0.09
18.	MADHYA PRADESH	3374	876356	0.16
19.	MAHARASHTRA	23523	56516924	10.00
20.	MANIPUR	7	1173	0.00
21.	MEGHALAYA	17	4076	0.00
22.	MIZORAM	1	98	0.00
23.	NAGALAND	16	3682	0.00
24.	ORISSA	770	192127	0.03
25.	PONDICHERRY	62	13856	0.00
26.	PUNJAB	4255	1200579	0.21
27.	RAJASTHAN	11116	1811553	0.32
28.	SIKKIM	2	250	0.00
29.	TAMIL NADU	5991	1699938	0.30
30.	TRIPURA	24	5830	0.00
31.	UTTAR PRADESH	6781	1780904	0.32
32.	UTTARAKHAND	593	124203	0.02
33.	WEST BENGAL	8679	2548436	0.45
34.	APO/ OTHERS	1440	165198654	29.24
	Total	121324	564912284	100.00



कंपनी प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र
पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सूचीबद्ध करने संबंधी करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी प्रबंधन संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कंपनी प्रबंधन संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कंपनी प्रबंधन संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में है।

कृते धवन एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(दीपक कपूर)

पार्टनर

एम.नं. 072302

एफआरएन : 002864एन

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(हरबंस सिंह)

पार्टनर

एम.नं. 099109

एफआरएन : 007601एन

कृते एस. मान एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(सुभाष मान)

पार्टनर

एम.नं. 080500

एफआरएन : 000075एन

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(बलदेव गर्ग)

पार्टनर

एम.नं. 092225

एफआरएन : 013148एन

दिनांक : 14 मई, 2018

स्थान : नई दिल्ली

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance**To: The Members of Punjab & Sind Bank**

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2018 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Dhawan & Co.

Chartered Accountants

(Deepak Kapoor)

Partner

M. No.072302

FRN : 002864N

For Davinder Pal Singh & Co.

Chartered Accountants

(Harbans Singh)

Partner

M. No. 099109

FRN : 007601N

For S. Mann & Co

Chartered Accountants

(Subhash Mann)

Partner

M. No. 080500

FRN : 000075N

For Baldev Kumar & Co

Chartered Accountants

(Baldev Garg)

Partner

M. No. 092225

FRN : 013148N

Dated: 14 May, 2018

Place : New Delhi



निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

**विषय: वर्ष 2017-18 हेतु सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं)
अधिनियमों, 2015 की अनुसूची- V के अंतर्गत घोषणा।**

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 की अनुसूची-V के प्रसंग में विनिर्दिष्ट आचार संहिता की बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी दर्शाया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 मई, 2018

(गोविंद एन डोंगे)
कार्यकारी निदेशक

(फरीद अहमद)
कार्यकारी निदेशक

सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

विषय: वर्ष 2017-18 के लिए सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

- सेबी (LODR), 2015 के कंपनी प्रबंधन की अनुसूची-II के अनुपालन प्रमाणपत्र के भाग-बी की अनुपालना में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि,
- क. हमने वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार
 1. इन विवरणियों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।
 2. ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
 - ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर कानूनी हों अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हों।
 - ग. हम वित्तीय सूचना देने से संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय सूचना देने की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आंकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियाँ यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।
 - घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है :
 1. वर्ष के दौरान वित्तीय सूचना देने के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 2. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स में कर दिया गया है और
 3. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(हरविन्द्र सचदेव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(महाप्रबंधक-लेखा)

(गोविंद एन डोंगे)
कार्यकारी निदेशक

(फरीद अहमद)
कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 मई, 2018

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

**Re: Declaration for 2017-18 as per Schedule-V of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2018 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website www.psbindia.com.

For Punjab & Sind Bank

For Punjab & Sind Bank

Place : New Delhi
Dated : 16 May, 2018

(Govind N Dongre)
Executive Director

(Fareed Ahmed)
Executive Director

CEO/CFO Certification

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2017-18

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
 - 1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - 2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
 - 1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - 2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - 3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Punjab & Sind Bank

For Punjab & Sind Bank

For Punjab & Sind Bank

(Harvinder Sachdev)
Chief Financial Officer
(General Manager-Accounts)

(Govind N Dongre)
Executive Director

(Fareed Ahmed)
Executive Director

Place : New Delhi
Dated : 16 May, 2018

धवन एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार	दविन्दर पाल सिंह एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार
एस. मान एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार	बलदेव कुमार एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

- हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च, 2018 की वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2018 का तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों की रिटर्न, सभी 24 आंचलिक कार्यालय, 20 शाखाएं तथा 1 एकीकृत ट्रेजरी शाखा और शाखाओं के लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 620 शाखाएं हैं। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 874 शाखाओं से भेजी गई विवरणियाँ शामिल हैं जो लेखा परीक्षण के अधीन नहीं हैं। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 9 प्रतिशत, जमाराशियों का 22.13 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 6.70 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए गए ब्याज व्ययों का 21.66 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को लेखा मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जोकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों के अनुसार हैं। उत्तरदायित्व में डिजाईन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण जो कि यथार्थ के अकथन, धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है, सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपना लेखा परीक्षण सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरूप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें और इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है।
- एक लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणियों में किए गए प्रकटन और राशियों संबंधी साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का परीक्षण सम्मिलित है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणियों के विषय में दी गई गलत सूचना का आंकलन सम्मिलित है जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है। लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुरूप जोखिम भरा आंकलन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तथा वास्तविक प्रस्तुतिकरण पर विचार करता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से। लेखा परीक्षण में मूल्यांकन करने में उचित लेखा सिद्धांतों का उपयोग तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान के साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणियों को प्रस्तुत करना भी सम्मिलित है।
- हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षण में जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं सामान्यतः पूर्ण हैं और हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार हैं।

विषय का महत्व:

- हमारी रिपोर्ट की विशेषता बताए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:
 - नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों/निकासी पहचान/समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।
 - अपील में विलंबित विवादित कर देयताओं के संबंध में नोट सं. 10.9.5, जिसका प्रभाव निश्चित नहीं है।
 - बैंक की पूंजी पर्याप्तता बेसल-II तथा बेसल-III अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में प्रकट किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा-नीतियों और उक्त परिच्छेद 6(क) से (ख) पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप है।

Dhawan & Co. Chartered Accountants	Davinder Pal Singh & Co. Chartered Accountants
For S. Mann & Co. Chartered Accountants	For Baldev Kumar & Co. Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

The Members of Punjab & Sind Bank

Report on the Financial Statements

- We have audited the accompanying financial statements of Punjab & Sind Bank as at 31st March, 2018, which comprise the balance sheet as at March 31, 2018, and profit and loss account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of various departments of head office; all the 24 zonal offices, 20 branches and 1 integrated treasury branch audited by us and 620 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other branch auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the balance sheet and the profit and loss account, are the returns from 874 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9 per cent of advances, 22.13 per cent of deposits, 6.70 per cent of interest income and 21.66 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

- Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, the guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time and Accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- We believe that the audit evidence, we have obtained is generally sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of matter:

- Without qualifying our report, we draw attention to:
 - Note no. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding non reconciliation of balances and clearances/identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the impact of which is not ascertainable;
 - Note no. 10.9.5 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable;
 - Capital adequacy as per Basel – II and Basel – III and other ratios disclosed in the accounts by the bank are subject to adjustment arising out of the Notes on accounts, accounting policies and our remarks in Para 6 (a) & (b) above;

अभिमत

7. हमारी राय में जैसा कि बैंक के बहियों में दर्शाया गया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि:-
- क) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन-पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्ध तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित ढंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च 2018 के मामलों का उचित उल्लेख है जो कि भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप हैं:
- ख) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियां जो कि भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है और
- ग) नकदी प्रवाह विवरणी उस तिथि पर समाप्त वर्ष तक की नकदी प्रवाह विवरणी के सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन-पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
9. उपरोक्त 1 से 5 तक परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970-1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, हमने वे सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं और इन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख) बैंक के ऐसे सभी लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं जो बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।
- ग) बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

10. आगे हम सूचित करते हैं कि:

- (क) रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।
- (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हम को बैंक के शाखा लेखाकारों द्वारा शाखा कार्यालयों की लेखा परीक्षित रिपोर्ट भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनका सही उपयोग किया गया है, और
- (ग) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं।

कृते धवन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002864एन

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007601एन

(दीपक कपूर)
साझेदार
एम.नं. 072302

(इंदरजीत कौर)
साझेदार
एम.नं. 500143

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000075एन

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 013148एन

(सुभाष मान)
साझेदार
एम.नं. 080500

(बलदेव गर्ग)
साझेदार
एम.नं. 092225

नई दिल्ली
दिनांक: 16 मई, 2018

Opinion

7. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- the balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair balance sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - the profit and loss account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and
 - the cash flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The balance sheet and the profit and loss account have been drawn up in accordance with section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with Notes on Accounts attached and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. **We further report that:**
- the balance sheet and profit and loss account dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns;
 - the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - In our opinion, the balance sheet, profit and loss account and the cash flow statement comply with the applicable accounting standards.

For Dhawan & Co.
Chartered Accountants
FRN : 002864N

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN : 007601N

Deepak Kapoor
(Partner)
M. No. 072302

Inderjit Kaur
(Partner)
M. No. 500143

For S. Mann & Co.
Chartered Accountants
FRN : 000075N

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants
FRN : 013148N

Subhash Mann
(Partner)
M. No. 080500

Baldev Garg
(Partner)
M. No. 092225

Place : New Delhi
Date : 16 May, 2018

पंजाब एण्ड सिंध बैंक का संक्षिप्त तुलन-पत्र 31 मार्च, 2018

(राशि लाखों में)

पूंजी एवं देताएं		31 मार्च, 2018 वर्तमान वर्ष	31 मार्च, 2017 विगत वर्ष
पूंजी		56491.23	40041.10
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	सांविधिक आरक्षित निधि	109369.06	108369.06
	पूंजी आरक्षित निधि	127561.56	120049.72
	शेयर प्रीमियम	193755.43	131804.18
	राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधि	32392.44	28255.35
	लाभ-हानि खाते में शेष	98698.78	185727.48
जमा राशियां	मांग जमा	393176.25	448742.16
	बचत खाता जमा	2012866.43	1907209.73
	मियादी जमा	7766573.96	6198064.24
उधार	भारत में उधार		
	(क) भारतीय रिजर्व बैंक	75000.00	0.00
	(ख) अन्य बैंक	0.00	0.00
	(ग) अन्य संस्थान तथा अभिकरण	293298.49	295843.77
	भारत से बाहर उधार	0.00	0.00
अन्य देताएं तथा प्रावधान	देय बिल	20396.91	23173.97
	अंतः कार्यालय समायोजन (निवल)	6429.34	4513.27
	प्रोदभूत ब्याज	103806.18	83573.93
	स्थगित कर देता(निवल)	0.00	0.00
	अन्य	86108.17	88975.75
	कुल पूंजी एवं देताएं	11375924.23	9664343.71
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में इतिशेष		625638.45	436467.72
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	भारत में शेष	3094.24	3111.85
	भारत में मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	69400.00	0.00
	भारत के बाहर शेष	15136.57	19398.08
निवेश	भारत में		
	(क) सरकारी प्रतिभूतियां	2402349.58	2127105.02
	(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1068.63	1068.63
	(ग) शेयर	27894.05	23109.52
	(घ) डिबेंचर तथा बांड्स	635352.83	609444.01
	(द) सहायक इकाईयां तथा संयुक्त उपक्रम	65.37	65.37
	(ध) अन्य	231445.26	34057.64
	भारत के बाहर	0.00	0.00

Abridged Balance Sheet as on 31st March, 2018

(Amount in Rs.Lac)

CAPITAL & LIABILITIES		As on March 31,2018	As on March 31,2017 Current Year
Capital		56491.23	40041.10
Reserves & Surplus	Statutory Reserves	109369.06	108369.06
	Capital reserve	127561.56	120049.72
	Share Premium	193755.43	131804.18
	Revenue and Other Reserves	32392.44	28255.35
	Balance in Profit & Loss a/c	98698.78	185727.48
Deposits	Demand Deposits	393176.25	448742.16
	Saving Bank Deposits	2012866.43	1907209.73
	Term Deposits	7766573.96	6198064.24
Borrowings	Borrowings in India		
	(a) From Reserve Bank of India	75000.00	0.00
	(b) From other banks	0.00	0.00
	(c) From other institutions & agencies	293298.49	295843.77
	Borrowings outside India	0.00	0.00
Other Liabilities & Provisions	Bills payable	20396.91	23173.97
	Inter-office adjustments (net)	6429.34	4513.27
	Interest accrued	103806.18	83573.93
	Deferred Tax Liability (net)	0.00	0.00
	Others	86108.17	88975.75
	Total Capital & Liabilities	11375924.23	9664343.71
ASSETS			
Cash and balance with Reserve Bank of India		625638.45	436467.72
Balances with banks and money at call and short notice	Balance with banks in India	3094.24	3111.85
	Money at call and short notice in India	69400.00	0.00
	Balance outside India	15136.57	19398.08
Investments	In India		
	(a) Government Securities	2402349.58	2127105.02
	(b) Other approved securities	1068.63	1068.63
	(c) Shares	27894.05	23109.52
	(d) Debentures and Bonds	635352.83	609444.01
	(e) Subsidiaries and/ or Joint Ventures	65.37	65.37
	(f) Others	231445.26	34057.64
	Outside India	0.00	0.00

अग्रिम	भारत में		
	(क) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	38352.01	37449.60
	(ख) नकदी क्रेडिट, अधिविकर्ष तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण	2532313.41	1926940.25
	(ग) मीयादी ऋण	4086279.27	3869063.49
	विदेश में	0.00	0.00
स्थायी आस्तियां		108259.85	109542.87
अन्य आस्तियां	अंत: कार्यालय समायोजन (निवल)	0.00	0.00
	प्रोदभूत ब्याज	68821.86	47326.24
	अग्रिम रूप से संदत्त / स्रौत्र पर काटा गया कर	8347.83	6006.30
	स्थगित कर देएता (निवल)	59333.19	22257.06
	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां	0.00	0.00
	अन्य	462771.83	391930.06
	कुल आस्तियां	11375924.23	9664343.71
आकस्मिक देयताएं	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	687.90	1076.86
	बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	318899.62	694929.66
	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	272954.55	249806.62
	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	16912.31	18669.05
	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	8485.54	8485.54
	कुल आकस्मिक देयताएं	617939.92	972967.73
वसूली हेतु बिल		59460.70	59706.94

नोट: पूंजी आरक्षित निधि में वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2016-17 के क्रमशः रु. 84704.20 लाख और रु. 87330.62 लाख की पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि सम्मिलित है।

Advances	In India		
	(a) Bills purchased and discounted	38352.01	37449.60
	(b) Cash credits, overdrafts and loans receivable on demand	2532313.41	1926940.25
	(c) Term Loans	4086279.27	3869063.49
	Outside India	0.00	0.00
Fixed Assets		108259.85	109542.87
Other assets	Inter-office adjustments (net)	0.00	0.00
	Interest accrued	68821.86	47326.24
	Tax paid in advance/deducted at source	8347.83	6006.30
	Deferred Tax Asset (net)	59333.19	22257.06
	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	0.00	0.00
	Others	462771.83	391930.06
	Total Assets	11375924.23	9664343.71
Contingent Liabilities	Claims against the bank not acknowledged as debts	687.90	1076.86
	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	318899.62	694929.66
	Guarantees given on behalf of constituents	272954.55	249806.62
	Acceptances endorsements and other obligations	16912.31	18669.05
	Other items for which the bank is contingent liable	8485.54	8485.54
	Total Contingent Liabilities	617939.92	972967.73
Bills for collection		59460.70	59706.94

Note : Capital Reserve includes Revaluation Reserve for the financial year 2017-18 and 2016-17 of Rs.84704.20 lacs and Rs.87330.62 lacs respectively.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक का संक्षिप्त तुलन-पत्र 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि हेतु संक्षिप्त लाभ-हानि खाता			
		(राशि लाखों में)	
		31 मार्च, 2018 वर्तमान वर्ष	31 मार्च, 2017 विगत वर्ष
आय			
अर्जित ब्याज	अग्रिमों/बिलों पर	523152.49	568149.51
	निवेशों पर	245083.44	225559.07
	भारतीय रिजर्व बैंक के अतिशेषों और अन्य बैंक निधियों पर	11704.04	4373.01
	अन्य	14935.36	19205.60
अन्य आय			
	कमीशन, विनिमय, तथा दलाली	8347.25	8985.65
	निवेशों के विक्रय पर निवल लाभ	25952.23	26197.45
	भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर निवल लाभ	-11.19	-18.60
	विनिमय लेन-देन पर निवल लाभ	2588.88	3256.36
	समनुषंगियों द्वारा प्राप्त लाभांश आदि से आय	0.00	0.00
	भारत/विदेश में कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम से आय		
	अन्य आय	21242.88	19388.96
	कुल आय	852995.38	875097.01
व्यय			
अपचित ब्याज	जमाओं पर	541234.15	582147.11
	भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	4217.60	5176.74
	अन्य	25903.91	14029.91
परिचालन व्यय			
	कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	112300.44	99014.35
	किराया कर और रोशनी	12793.85	13202.05
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	864.65	762.18
	विज्ञापन और प्रचार	157.40	148.43
	बैंक संपत्ति पर मूल्यह्रास	6410.58	4245.94
	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	27.40	30.72
	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय(शाखा लेखा परीक्षक सम्मिलित)	1198.06	1029.87
	विधि प्रभार	1028.33	1183.86
	डाक व्यय, तार और दूरभाष आदि	956.82	1008.43
	मरम्मत और अनुरक्षण	1541.01	1317.11
	बीमा	8462.72	8636.52
	अन्य	21427.10	18976.01

Abridged Profit and Loss Account for the Period Ended 31st March, 2018

(Amount in Rs.Lac)

		Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2017
Income			
Interest earned	On advances / bills	523152.49	568149.51
	On Investments	245083.44	225559.07
	on Balances with RBI and inter bank funds	11704.04	4373.01
	Others	14935.36	19205.60
Other Income	Commission,exchange and brokerage	8347.25	8985.65
	Profit on sale of investments (Net)	25952.23	26197.45
	Profit on sale of land, buildings and other assets (Net)	-11.19	-18.60
	Profit on exchange transactions (Net)	2588.88	3256.36
	Income by way of dividends,etc.from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India	0.00	0.00
	Miscellaneous Income	21242.88	19388.96
	Total Income	852995.38	875097.01
Expenditure			
Interest Expended	On deposits	541234.15	582147.11
	On RBI/inter bank borrowings	4217.60	5176.74
	Others	25903.91	14029.91
Operating Expenses	Payment to and provisions for employees	112300.44	99014.35
	Rent,taxes and lighting	12793.85	13202.05
	Printing and stationery	864.65	762.18
	Advertisement and publicity	157.40	148.43
	Depreciation on bank's property	6410.58	4245.94
	Director's fees,allowances and expenses	27.40	30.72
	Auditor's fee and expenses(including branch auditors)	1198.06	1029.87
	Law charges	1028.33	1183.86
	Postage,telegrams,telephones, etc.	956.82	1008.43
	Repairs and maintainence	1541.01	1317.11
	Insurance	8462.72	8636.52
	Others	21427.10	18976.01

प्रावधान तथा आकस्मिकता	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	11917.08	1971.91
	अनर्जक खातों हेतु प्रावधान	172243.48	110633.29
	मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	-8864.91	-9037.76
	एफवी पुनः संरचनित में कमी के लिए प्रावधान (मानक)	-3046.20	-4881.25
	अन्य (आयकर के अतिरिक्त)	1705.99	454.19
	कुल व्यय तथा प्रावधान	912479.46	850049.61
कर से पहले लाभ/(हानि)		-59484.08	25047.40
	वर्तमान कर	51971.82	47271.56
	स्थगित कर	-37076.13	-42332.58
कर के बाद लाभ/(हानि)		-74379.77	20108.42
लाभ/हानि अग्रेषित		185727.48	181277.70
सामान्य आरक्षितियों से आहरण		0.00	0.00
कुल योग		111347.71	201386.12
विनियोजन	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण	1000.00	5050.00
	अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण	11648.93	10608.64
	सरकार/प्रस्तावित लाभांश जिसमें डीडीटी सम्मिलित, को अंतरण	0.00	0.00
	शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया	98698.78	185727.48

Provisions and contingencies	Provision for depreciation on Investment	11917.08	1971.91
	Provision towards non performing assets	172243.48	110633.29
	Provision towards standard assets	-8864.91	-9037.76
	Provision towards diminution in FV Restructured (Standard)	-3046.20	-4881.25
	Others (excluding Income taxes)	1705.99	454.19
	Total expenses and provisions	912479.46	850049.61
Profit/(Loss) before tax		-59484.08	25047.40
	Current tax	51971.82	47271.56
	Deferred tax	-37076.13	-42332.58
Profit/(Loss) after tax		-74379.77	20108.42
Profit/(Loss) brought forward		185727.48	181277.70
Withdrawal from General Reserve		0.00	0.00
Total		111347.71	201386.12
Appropriations	Transfer to Statutory Reserve	1000.00	5050.00
	Transfer to Other Reserves	11648.93	10608.64
	Transfer to Government/proposed dividend including DDT	0.00	0.00
	Balance carried forward to balance sheet	98698.78	185727.48

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

(000छोड़कर)

विवरण	2017-18	2016-17
(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह		
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ/(हानि)	-7437977	2010842
समायोजन हेतु		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	17981364	10214166
मूल्यह्रास स्थावर आस्तियां	641058	424594
मूल्यह्रास निवेश	903749	193770
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	1119	1860
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	2530157	1341047
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	14619470	14186279
समायोजन हेतु		
जमाओं में वृद्धि/(कमी)	161860051	-57098026
उधारों में वृद्धि/(कमी)	-2754528	-2305759
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	2451523	-4338916
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	-51524261	-3231836
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-99354126	45238931
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	-12273258	-768386
प्रत्यक्ष कर भुगतान (कूल रिफंड)	-2391816	3365490
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह (क)	10633055	-4952223
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-512756	-332814
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-1119	-1860
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	-513875	-334674
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नकद में इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम	1645013	0
प्राप्त शेयर प्रीमियम	6204987	0
सार्वजनिक निर्गम व्यय	-9862	0
अतिरिक्त टियर-I बांड का निर्गम	10000000	0
गौण बांड को जारी करना	0	5000000
गौण बांड का मोचन	0	-1500000
गौण बांडों पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई	-2530157	-1341047
इक्विटी पर लाभांश	0	0
लाभांश आबंटन कर	0	0
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	15309981	2158953
परिचालन गतिविधियों से नकदी	10633055	-4952223
निवेश गतिविधियों से नकदी	-513875	-334674
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	15309981	2158953
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि .	25429161	-3127944
बैंक शेष व नकदी (प्रारंभिक)	45897765	49025709
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	71326926	45897765

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2018

(000'S OMITTED)

PARTICULARS	2017-18	2016-17
(A)Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	-7437977	2010842
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	17981364	10214166
Depreciation on Fixed Assets	641058	424594
Depreciation on Investments	903749	193770
Profit on sale of Assets	1119	1860
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	2530157	1341047
Operating Profit before working capital changes	14619470	14186279
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	161860051	-57098026
Increase / (Decrease) in Borrowings	-2754528	-2305759
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	2451523	-4338916
(Increase) / Decrease in Investments	-51524261	-3231836
(Increase)/ Decrease in Advances	-99354126	45238931
(Increase) / Decrease in Other Assets	-12273258	-768386
Direct Taxes Paid (Net of refund)	-2391816	3365490
Cash Flow from Operating Activities (A)	10633055	-4952223
(B)Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets (Net)	-512756	-332814
Profit on sale of Assets	-1119	-1860
Cash Flow from Investing Activities (B)	-513875	-334674
(C)Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for cash	1645013	0
Share Premium received thereon	6204987	0
Public Issue Expenses	-9862	0
Issue of Additional Tier I Bonds	10000000	0
Issue of Subordinated Bonds	0	5000000
Redemption of Subordinated Bonds	0	-1500000
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-2530157	-1341047
Dividend on Equity	0	0
Dividend Distribution Tax	0	0
Cash Flow from Financing Activities (C)	15309981	2158953
Cash from Operating Activities	10633055	-4952223
Cash from Investing Activities	-513875	-334674
Cash from Financing Activities	15309981	2158953
Increase in Cash & Cash Equivalents	25429161	-3127944
Cash and Bank Balances (Opening)	45897765	49025709
Cash and Bank Balances (Closing)	71326926	45897765



फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

गोविन्द एन. डोंग्रे
कार्यकारी निदेशक

एस. सेल्वा कुमार
निदेशक

पी.के. जेना
निदेशक

सी.ए. एस.आर. घेडीया
निदेशक

अतनु सेन
निदेशक

हर्ष बीर सिंह
निदेशक

हरविन्द्र सचदेव
महाप्रबंधक

नेत्रानन्द सेठी
महाप्रबंधक

जयंत कुमार नायक
महाप्रबंधक

राजीव रावत
महाप्रबंधक

दलजीत सिंह ग्रोवर
महाप्रबंधक

ए.एस. अहूजा
उप महाप्रबंधक

चन्द्र मोहन सिंह
मुख्य प्रबंधक

कृते धवन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(दीपक कपूर)
साझेदार
एम.नं. 072302
एफआरएन 002864एन

(इंदरजीत कौर)
साझेदार
एम.नं. 500143
एफआरएन 007601एन

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(सुभाष मान)
साझेदार
एम.नं. 080500
एफआरएन 000075एन

(बलदेव गर्ग)
साझेदार
एम.नं. 092225
एफआरएन 013148एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: मई 16, 20148

FAREED AHMED
EXECUTIVE DIRECTOR

GOVIND N DONGRE
EXECUTIVE DIRECTOR

S. SELVA KUMAR
DIRECTOR

P.K.JENA
DIRECTOR

CA SR GHEDIA
DIRECTOR

ATANU SEN
DIRECTOR

HARSH BIR SINGH
DIRECTOR

HARVINDER SACHDEV
GENERAL MANAGER

NETRANAND SETHI
GENERAL MANAGER

JAYANTA KUMAR NAYAK
GENERAL MANAGER

RAJIV RAWAT
GENERAL MANAGER

DALJIT SINGH GROVER
GENERAL MANAGER

A.S.AHUJA
DY.GEN. MANAGER

C.M.SINGH
CHIEF MANAGER

For Dhawan & Co
Chartered Accountants

For Davinder Pal Singh & Co
Chartered Accountants

(Deepak Kapoor)
Partner
M. No. 072302
FRN : 002864N

(Inderjit Kaur)
Partner
M. No. 500143
FRN : 007601N

For S.Mann & Co.
Chartered Accountants

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants

(Subhash Mann)
Partner
M. No. 080500
FRN : 000075N

(Baldev Garg)
Partner
M. No. 092225
FRN : 013148N

Place: New Delhi
Dated: May 16, 2018

स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन

- 1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
- 1.2 अंतर्शाखा खातों (आईबीआर + डीडी) में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट-क्रेडिट का आरंभिक मिलान, जिसे अंतर्कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) को 31.03.2018 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।
- 1.3 देय ड्राफ्ट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. (उचंत) आदि के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार नोस्ट्रो खातों का समायोजन दिनांक 31.03.2018 तक कर दिया गया है।
प्रबंधन की राय में पैरा 1.1 से पैरा 1.3 का लाभ एवं हानि खाते पर तथा तुलनपत्र पर प्रभाव यदि कोई है, मात्रात्मक नहीं है।
- 10.9.5 अपीलीय प्राधिकारी/न्यायिक घोषणाओं /विधि सलाहकारों की सलाह के अनुसार रु 84.86 करोड़ (विगत वर्ष रु 84.86 करोड़) की आय एवं ब्याज कर की विवादस्पद मांग के संबंध में किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

NOTES ON ACCOUNTS REFERRED IN INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

1 Balancing of Books and Reconciliation.

- 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 31.03.2018 and reconciliation is in progress.
- 1.3 Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms. Reconciliation of Nostro accounts has been done as on 31.03.2018.

In the opinion of the management, the impact of the above para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet is not quantifiable.

- 10.9.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income and Interest Tax aggregating to Rs.84.86 crore (Previous year Rs.84.86 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

(आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक) 29.06.2018

**फार्म 'बी'
प्रॉक्सी फार्म**

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

अनुबंध "A"

मैं/हम _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ का/की/के हैं जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा
श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर श्री श्रीमती _____
निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को

शुक्रवार, दिनांक 29 जून, 2018 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

..... माह के दिन 2018 को हस्ताक्षरित

पंजीकृत फोलियो न./ग्राहक का आईडी.न.

शेयरों की संख्या

कृपया रसीदी
टिकट
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम व पता:

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम व पता:

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक कि:
 - व्यक्तिक शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - संयुक्त शेयरधारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटार्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
- प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आशवासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
- प्रॉक्सी के साथ:**
 - अटार्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटार्नी अधिकार की **प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008** को आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् **रविवार 24 जून, 2018 (5.00 बजे सायंकाल) को कार्य-समय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।**
- यदि संबंधित अटार्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटार्नी अधिकार की पंजीकरण संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "बी" पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
- बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा जिससे वह प्रलेख संबंधित है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

{EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING}: 29.06.2018

FORM ‘B’ PROXY FORM

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....Resident of.....in the district of
..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind
Bank, hereby appoint Shri/Smt resident of.....in the district of
.....in the State ofor failing him/her, Shri/Smt resident
of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me/
us and on my / our behalf at the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on **Friday, the 29th June, 2018** at 10.00 A.M. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2018

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Please affix
Revenue
Stamp

.....
Signature of Proxy

Name & Address:

.....

.....
Signature of the sole / first named shareholder

Name & Address:

.....

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
- The proxy together with** : (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of **Sunday, the 24th day of June, 2018 (5.00 p.m.)**.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form ‘B’ and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय-21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

अनुबंध "B"

उपस्थिति पर्ची

आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3,
जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास,
रोहिणी, दिल्ली-110085

शुक्रवार, 29 जून, 2018 प्रातः 10.00 बजे

(कृपया उपस्थिति पर्ची को पूर्ण रूप से भरें एवं बैठक हॉल के पंजीकरण काउंटर पर उसे सौंप दें)

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय - 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

प्रवेश पास

आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3,
जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास,
रोहिणी, दिल्ली-110085

शुक्रवार, 29 जून, 2018 प्रातः 10.00 बजे

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

नोट- मतदान की स्थिति में मतपत्र केवल प्रवेश पास पर जारी किया जाएगा।

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ATTENDANCE SLIP EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085

FRIDAY, JUNE 29, 2018, 10.00 a.m.

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ENTRY PASS (To be retained throughout the meeting)

EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085


FRIDAY, JUNE 29, 2018, 10.00 a.m.

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Note : Ballot Paper for polling will be issued against the entry pass only.

PUNJAB & SIND BANK

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085



मुख्य सतर्कता अधिकारी/ Chief Vigilance Officer



श्री संजय जैन (सीवीओ)
Sh. Sanjay Jain (CVO)

महाप्रबंधक / General Managers



श्री एस.सी. क्वात्रा
Sh. S.C. Kwatra



श्रीमती हरविन्द्र सचदेव
Smt. Harvinder Sachdev



श्री जी.एस. नारंग (प्रतिनियुक्ति पर)
Sh. G.S. Narang (On Deputation)

सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने मुम्बई में आयोजित 13वें वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन-सह-सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार - 2017 समारोह में लघु बैंक श्रेणी के अंतर्गत "सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन" तथा "कृषि बैंकिंग" में एसोचौम से सर्वोत्तम बैंक के रूप में दो सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार जीते।

माननीय वित्त राज्य मंत्री, श्री शिव प्रताप शुक्ला, ने डॉ. फरीद अहमद, कार्यकारी निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक को बैंक विहीन एवं कम बैंक वाले क्षेत्रों में कृषि ऋण देने में उत्कृष्ट कार्य करने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं में सहयोग प्रदान करने के लिए एसोचौम सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार, 2017 प्रदान किए।

Social Banking Excellence Award

Punjab & Sind Bank has won two Social Banking Excellence Awards from ASSOCHAM as Best Bank in "Agriculture Banking" and "Implementation of Government Schemes" under Small Bank category during 13th Annual Banking Summit-cum-Social Banking Excellence Awards-2017 ceremony held at Mumbai.

Shri Shiv Pratap Shukla, Hon'ble Minister of State for Finance gave "ASSOCHAM Social Banking Excellence Awards 2017" to Dr Fareed Ahmed, Executive Director, Punjab & Sind Bank for excellent contribution towards lending to agriculture in unbanked and under banked areas and providing support to various Government Schemes.



राष्ट्रपति द्वारा सम्मान

पंजाब एण्ड सिंध बैंक को वर्ष 2016-17 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों' की राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी के अंतर्गत 'क' क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बैंक की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदरबीर सिंह (आई.ए.एस.) ने यह पुरस्कार आज हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी के कर-कमलों द्वारा ग्रहण किया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मंच पर माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीज्जू एवं श्री हंसराज गंगाराम अहीर तथा राजभाषा सचिव श्री प्रभास कुमार झा भी उपस्थित थे।

Honored by the President of India

Punjab & Sind Bank has won Rajbhasha Award in 'A' Region under the category of Nationalized Banks and Financial Institutions for best implementation of Official Language Policy during the year 2016-17. On behalf of the Bank, Chairman and Managing Director, Shri Jatinderbir Singh (IAS), received this award on the occasion of "Hindi Divas" by the Hon'ble President of India Shri Ram Nath Kovind. Shri Rajnath Singh, Hon'ble Home Minister, Shri Hansraj Gangaram Ahir, Shri Kiren Rijju, MoS Home Affairs and Shri Prabhas Kumar Jha, Secretary Rajbhasha also graced the occasion.

पी.एम.जे.डी.वाई. में निष्पादन हेतु SKOCH पुरस्कार

डॉ. फरीद अहमद, कार्यकारी निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने दिल्ली में आयोजित 51वें SKOCH सम्मेलन में पी.एम.जे.डी.वाई. में निष्पादन हेतु SKOCH पुरस्कार प्राप्त किया तथा उन्होंने पी.एम.जे.डी.वाई. के संबंध में बैंक का दृष्टिकोण साझा किया। बैंक के अच्छे कार्य निष्पादन करने वाले सर्वोच्च 10 बैंक मित्रों ने भी विशेष योगदान हेतु SKOCH आर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त किए।

SKOCH award for PMJDY performance

Dr.Fareed Ahmed ED, Punjab & Sind Bank received SKOCH Award for PMJDY performance during 51st SKOCH Summit held at Delhi & shared Banks view under PMJDY. Top 10 well performing Mitras of bank also received SKOCH Order of Merit Award for their outstanding contribution.

१९ मी द्वागित्तु नी वी इडवि

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21 Rajendra Place, New Delhi-110008

वेबसाइट / Website: www.psbindia.com